

अलख जगा है गाँव-गाँव में



जल संरक्षण एवं प्रबन्धन पर 'कट्स' की पहल एवं प्रयास



कट्स  CUTS
Twenty Years of
Social Change

1984 to 2003

#0408

अलख जगा है गाँव-गाँव में

अलख जगा है गाँव-गाँव में

प्रकाशक:

कट्स ✕ CUTS

कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी

डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

फोन : 91-141-2207482, फेक्स : 91-0141-2207486

ई-मेल : cuts@cuts-international.org

वेबसाइट : www.cuts-international.org

लेखन एवं शोध:

‘कट्स’ मानव विकास केन्द्र, चित्तौड़गढ़

सहयोग:

यू.एन.डी.पी.

मुद्रक:

जयपुर प्रिन्टर्स प्रा. लि.

जयपुर 302 001

ISBN: 81-8257-023-9

© CUTS, 2004

#0408 सहयोग राशि 30 रुपए

‘कट्स’ के बारे में

सन् 1983 में राष्ट्र के प्रबुद्ध एवं सचेत नागरिकों के एक छोटे समूह ने ‘शून्य’ बजट के साथ एक गैरेज में सामाजिक, नागरिक एवं उपभोक्ता अधिकारों की पैरवी हेतु गतिविधियों का शुभारम्भ किया। वर्तमान में संस्था के जयपुर में तीन, चित्तौड़गढ़, कलकत्ता एवं दिल्ली प्रत्येक नगर में एक केन्द्र है। साथ ही, देश के बाहर लुसाका, नैरोबी एवं लंदन में भी इसके केन्द्र अवस्थित हैं।

‘कट्स’ की गतिविधियां मुख्यतः पाँच कार्यक्रम क्षेत्रों में विभाजित हैं:

- उपभोक्ता संरक्षण, जिसमें जवाबदेहिता व नियामक सुधार आदि शामिल हैं;
- व्यापार एवं विकास;
- प्रतिस्पर्धा, निवेश एवं नियामक नीतियां;
- चिरस्थायी उत्पादन एवं उपभोग, जिसमें उपभोक्ता सुरक्षा शामिल है; एवं
- ग्रामीण उपभोक्ता एवं महिला सशक्तिकरण।

संस्था प्रत्येक तीन वर्ष के अंतराल पर अपनी कार्यकारिणी के सदस्यों का चुनाव करती है, जबकि संस्था की सम्पूर्ण गतिविधियों के प्रमुख इसके महामंत्री होते हैं। 1200 से भी अधिक व्यक्ति एवं 300 से भी अधिक संगठन इसके सदस्य हैं। संस्था सस्टेनेबल डवलपमेंट के विषय में यूनाईटेड नेशन्स कॉफ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डवलपमेंट तथा यूनाईटेड नेशन्स कमीशन से मान्यता रखती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त संस्था विभिन्न राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जैसे कि कन्ज्यूमर्स इन्टरनेशनल, दी इन्टरनेशनल सेंटर फॉर ट्रेड एंड सस्टेनेबल डवलपमेंट, साउथ एशिया वॉच ऑन ट्रेड, इकोनोमिक्स एवं एनवायरमेंट, दी कन्ज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल ऑफ इंडिया आदि के साथ सक्रियतापूर्वक कार्य कर रही है। यह भारत सरकार के विभिन्न नीति निर्धारक संगठनों को भी अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है।

प्राक्कथन

जल जीवन का आधार है, प्राणियों का प्राण है, जल है तो कल है, यानि जल प्राणी मात्र के लिए ऐसी अति आवश्यक वस्तु है जिसके बिना जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। दूसरा तथ्य यह है कि पृथ्वी पर स्थित भू-भाग का तिगुना है जल।

जल की उपयोगिता एवं उपलब्धता से सम्बन्धित उपरोक्त दोनों तथ्य सही है, अब इसका तीसरा पक्ष यह है कि लोगों को पानी की कमी महसूस हो रही है, गर्मियों में क्या सर्दियों में भी पानी के लिए त्राहि-त्राहि मची रहती है। आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? क्या माहौल में पसरती यह आशंका या भविष्यवाणी प्रासंगिक है कि यदि दुनिया के पैमाने पर कोई जंग छिड़ेगी तो वह पानी के सवाल पर छिड़ेगी। और यदि ऐसा नहीं लगता है तो फिर इन उभरते सवालों का क्या जवाब है-

- धरती पर पर्याप्त जल है फिर जल की कमी क्यों महसूस हो रही है ?
- जल प्राणी मात्र के लिए एक अति आवश्यक वस्तु जिसकी कमी से प्राणी मात्र के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग सकता है। फिर भी जल संरक्षण के क्षेत्र में कोई ठोस प्रयास क्यों नहीं किया जा रहा ?
- अगर यह स्थिति बनी रही तो भविष्य में क्या हाल होगा ?
- जल संरक्षण के क्षेत्र में अब तक जो भी थोड़े प्रयास किये उनसे आशानुरूप सफलता क्यों नहीं मिली ?
- अब क्या किया जाय की प्राणियों को उनकी आवश्यकता अनुसार स्वच्छ, सुरक्षित एवं पर्याप्त जल मिले।

सभी सवालों पर लोगों के साथ मिलकर गंभीरता पूर्वक विचार करने पर 'कट्स' ने महसूस किया कि पानी की कमी की जो परिस्थितियां बनीं, उसके लिए मानव सबसे अधिक जिम्मेदार है और यदि कुछ प्राकृतिक कारण भी हैं तो उसके लिए भी अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य ही ज्यादा जिम्मेदार है।

बढ़ते जल संकट के मुख्य कारण जो अभी तक समझ में आये वे हैं: भू-जल का अत्यधिक दोहन, वर्षा जल के संचय की व्यवस्था का न होना, भू-जल पुनर्भरण के प्रयासों में कमी, जल प्रदूषण एवं जल का असन्तुलित उपयोग, प्राकृतिक जल स्रोतों की उपेक्षा, वनों का ह्रास, बढ़ती जनसंख्या एवं वर्षा का कम होना, बदली जीवनशैली से पानी की अत्यधिक खपत तथा जल संरक्षण एवं संवर्धन योजनाओं में जन भागीदारी का अभाव।

लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के ध्येय के साथ लोगों के अधिकारों की पैरवी करने वाले समूह के रूप में कार्यरत स्वयं सेवी सामाजिक संगठन 'कट्स' ने उपरोक्त कारणों को दृष्टिगत रखते हुए बढ़ते जल संकट में कमी लाने हेतु पिछले एक दशक से भी अधिक समय से जनसहभागिता आधारित प्रयास किये हैं एवं निरन्तर कर रहा है, जिसे यहाँ एक कितबिया के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। 'कट्स' को हर्ष है कि वह यह प्रकाशन ऐसे अवसर पर ला रहा है जब समुचा विश्व 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मना रहा है और इस दिवस का ध्येय बिन्दु 'जल' है।

15 मार्च 2004
जयपुर

- प्रदीप महता

विषय सूची

प्राक्कथन	i
अदम्य साहस की कहानी है यह	1
एक स्वैच्छिक संस्था के प्रतिबद्ध प्रयासों की कहानी	7
अलख जगी है गांव गांव में	13
शाबाश रुक्मिणी !	18
कमाल चेतावनी का	21
अन्याय के खिलाफ	23

अदम्य साहस की कहानी है यह

चित्तौड़गढ़ जिले की गंगारार पंचायत समिति में एक गाँव पड़ता है सूरत सिंह जी का खेड़ा। ग्रामदानी गाँव है यह। इसी गाँव की कहानी है यह। करीब साढ़े तीन सौ की आबादी का गाँव है यह। परिवारों की संख्या होगी 47 के करीब। ज्यादातर परिवार अन्य पिछड़ा वर्ग या किसान वर्ग से ताल्लुक रखते हैं। इलाके की बोलचाल में 'गायरी' कहा जाता है इन लोगों को। अन्य परिवारों में कुछ राजपूत तो कुछ बंजारा जाति से ताल्लुक रखते हैं। गाँव के लोगों की आजीविका का खास जरिया है खेती बाड़ी या फिर मजदूरी। मजदूरी के लिए ये लोग भीलवाड़ा की कपड़ा मिलों में जाते हैं।

इसी गाँव की कहानी है यह। अदम्य साहस के साथ गाँव की एक जबर्दस्त समस्या के समाधान की कहानी। सामूहिक प्रयासों के सार्थक परिणाम की कहानी। ग्रामीण विकास के काम में लगी 'संस्थाओं' के अविस्मरणीय योगदान की कहानी। सूरतसिंह जी खेड़ा गाँव के लोग लम्बे समय से पेयजल समस्या से त्रस्त थे। पेयजल समस्या के निराकरण हेतु सन् 1998 में सरकार द्वारा एक लाख रुपये की लागत से ट्यूबवेल लगाकर पानी की टंकी बनाई गयी। इस टंकी से ग्रामवासी पानी भरते थे, लेकिन इससे उन्हें पेयजल समस्या से कुछ ही राहत मिली, उचित समाधान नहीं हुआ, क्योंकि यह टंकी गाँव से काफी दूर थी, जिससे महिलाओं पर काम के बोझ के साथ ही समाजिक सुरक्षा जैसी नई समस्याएँ पैदा हो गईं। महिलाओं ने ग्राम सभा के अध्यक्ष से कहा कि पानी की टंकी से गाँव तक पाइप लाईन डलवाकर गाँव में ही पेयजल उपलब्ध करवाया जावे, लेकिन आर्थिक कारणों के चलते अध्यक्ष ने असमर्थता व्यक्त कर दी। महिलाएँ ग्राम सभा एवं गाँव के पुरुषों से उक्त समस्या के समाधान हेतु कहती रहीं। उन्होंने जन प्रतिनिधियों तक भी अपनी बात पहुँचाई, लेकिन समस्या यथावत बनी रही। लगभग दो वर्ष तक ऐसे ही चलता रहा। इस बीच वर्ष 2001 में एक नई समस्या और पैदा हो गई। ग्राम सभा द्वारा बिजली का बिल नहीं भरने के कारण विद्युत विभाग ने ट्यूबवेल का विद्युत सम्बन्ध विच्छेद कर दिया, जिससे पेयजल आपूर्ति बंद हो गई। महिलाओं द्वारा ग्राम सभा एवं गाँव के प्रमुख लोगों से आग्रह किया गया कि विद्युत का बकाया बिल भरकर पेयजल आपूर्ति पुनः प्रारम्भ करवावें, लेकिन ग्राम सभा ने आर्थिक सीमाओं के चलते 7801 रुपये का

बिजली का बिल भरने से मना कर दिया। इस समस्या से सर्वाधिक प्रभावित हुई गाँव की युवा लड़कियाँ, महिलाएँ एवं बच्चे। इस वर्ग पर काम का बोझ तो बढ़ा ही साथ ही युवा लड़कियों एवं महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा भी प्रभावित होने लगी।

गाँव के पुरुष वर्ग एवं ग्राम सभा की ओर से पेयजल समस्या के समाधान के प्रति उदासीनता को देखते हुए स्वयं महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह के माध्यम से उक्त समस्या के समाधान का निर्णय लिया तथा इस सिलसिले में समूह की बैठक आयोजित कर समस्या समाधान हेतु विचार-विमर्श किया, कार्य बिन्दुओं एवं रणनीति का निर्धारण किया। यह तय किया गया कि-

- ट्यूबवेल के विद्युत कनेक्शन को पुनः जुड़वाया जाये।
- घरों में पेयजल आपूर्ति हेतु पानी की टंकी से गाँव तक पाइप लाईन बिछाई जाये।
- सतत एवं स्थाई रूप से पेयजल आपूर्ति को सुनिश्चित किया जाये।

उक्त निर्णयों की क्रियान्विति हेतु बनी रणनीति का भी निर्धारण किया गया। रणनीति के तहत तय हुआ कि -

- सर्वप्रथम ग्राम सभा के अध्यक्ष से चर्चा कर उनसे सहयोग लिया जावे।
- पुरुष वर्ग को भी साथ जोड़ा जावे।
- प्रशासनिक अधिकारियों एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क कर पेयजल समस्या के समाधान में सहयोग का आग्रह किया जावे।
- सरकार एवं ग्राम सभा द्वारा अपेक्षित सहयोग न मिलने की स्थिति में भी पानी की टंकी से गाँव तक पाइप लाइन डालकर घरों में सतत एवं स्थाई रूप से पेयजल आपूर्ति को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक राशि का प्रबंध किया जाय।

कार्य योजना को मूर्त रूप देने के लिये सर्वप्रथम स्वयं सहायता समूह की सभी महिलाएँ समूह अध्यक्षा श्रीमती मान कंवर एवं कोषाध्यक्ष श्रीमती राम कुंवर के नेतृत्व में ग्राम सभा अध्यक्ष श्री देवीलाल सहित अन्य सदस्यों से मिली एवं कहा कि हम सभी मिलकर गाँव से कुछ राशि एकत्र करते हैं, जिससे इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। ग्राम सभा अध्यक्ष ने कहा कि मैं पहले ही बहुत कोशिश कर चुका हूँ, गाँव वाले पैसा नहीं देते हैं, यदि गाँव के लोग पैसा देते तो यह स्थिति ही उत्पन्न नहीं होती। ग्राम सभा के पास पैसा नहीं है तथा गांव के लोगों से पैसा एकत्र करना असंभव है। महिलाओं ने कहा कि हम गाँव के लोगों की बैठक आयोजित कर इस मुद्दे पर बात करते हैं, इस पर अध्यक्ष ने झुंझला कर कहा कि 'मैं इस लफड़े में नहीं पड़ता, तुम जानो तुम्हारा काम जाने'। इस निराशाजनक प्रतिक्रिया के बाद भी महिलाएँ हताश नहीं हुईं एवं गाँव के लोगों की बैठक आयोजित करने का प्रयास किया। बैठक आयोजित भी की, लेकिन केवल 3-4 लोग ही आये। उन्होंने भी कहा कि यह काम

महिलाओं के बस का नहीं है। उन्होंने कहा कि जो काम सरकार, ग्राम सभा एवं पुरुष लोग नहीं कर सके उसे महिलाएँ कैसे कर सकती हैं? इन लोगों ने महिलाओं को सलाह दी कि घर के काम में ध्यान दो, इन फालतू कामों में समय जाया मत करो। पेयजल जैसी गम्भीर समस्या पर कार्य करने के काम को फालतू काम बताने पर महिलाओं में रोष पैदा हो गया। उन्होंने जवाब दिया 'आप पेयजल जैसी गंभीर समस्या से सम्बन्धित काम को फालतू काम बताते हैं, अगर पुरुष कुछ नहीं करते हैं तो हम मेहनत करेंगे, पैसा लगायेंगे एवं समस्या का समाधान करेंगे'। महिलाओं की इस रोष भरी प्रतिक्रिया के चलते बैठक में उपस्थित पुरुषों ने रूख बदलते हुए कहा 'ठीक है काम फालतू नहीं, लेकिन असंभव है'। लेकिन, ऐसे पुरुष जो बैठक में नहीं थे वो 'अबे तो लुगायों को राज है, अबे तो लुगायां कर लेइ, अब आदमी तो घुंघटों काड़ घर में बैठो, ली हाल्या उं कदी हांड फाटी' टिप्पणियां कर रहे थे। यह कोई सकारात्मक टिप्पणी नहीं थी। यह महिलाओं द्वारा किये जा रहे इस महत्वपूर्ण प्रयास का मखौल था, लेकिन महिलाओं ने हार नहीं मानी तथा प्रयास करके ग्रामसभा के अध्यक्ष सहित गाँव के कुछ पुरुष जो अधिकतर स्वयं सहायता समूह सदस्यों के परिवार से थे एवं अन्य कुछ जो स्वैच्छिक संस्था 'कट्स' की गतिविधियों से जुड़े थे, उन्हें एवं गाँव की वार्डपंच श्रीमती गैदीबाई सहित गाँव की कुछ महिलाओं को तथा लिखा पढ़ी में तथा अन्य प्रकार से सहयोग के लिए स्थानीय विद्यालय की अध्यापिका श्रीमती सुनीता सुराणा को भी अपने मिशन के साथ जोड़ लिया।

सभी स्थितियों पर विचार-विमर्श करने हेतु 21 जनवरी को स्थानीय विद्यालय परिसर में बैठक आयोजित की गयी। इस बैठक में प्रत्येक परिवार से एक-एक महिला को आमंत्रित किया गया, लेकिन 47 परिवारों में से 30 परिवारों की 30 महिलाओं ने ही बैठक में भाग लिया। बैठक में स्थानीय विद्यालय की अध्यापिका श्रीमती सुराणा भी उपस्थित थी। बैठक में पेयजल समस्या समाधान समिति का गठन भी किया गया।, समिति में श्रीमती दाखी बाई बंजारा, श्रीमती गंगाबाई भील, श्रीमती उदीबाई बन्जारा, श्रीमती शान्तिबाई दरोगा, श्रीमती प्रेम दरोगा, श्रीमती अन्शीबाई भील, श्रीमती अंशीबाई रावत, श्रीमती लता चौहान, श्रीमती राम कंवर, श्रीमती मानकंवर, श्रीमती दाखी बाई गायरी एवं श्रीमती देऊबाई जाट सहित 11 महिलाओं को शामिल किया गया।

बैठक की कार्यवाही के दौरान 22 जनवरी को उपखण्ड अधिकारी, विद्युत विभाग एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों से सम्पर्क करने एवं 26 जनवरी को प्रस्तावित ग्राम सभा में भाग लेकर वहाँ उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों को उक्त समस्या से अवगत कराने एवं उन्हें भी इस मुद्दे के साथ जोड़ने का निर्णय लिया गया। बैठक में सर्वसम्मति से यह भी निर्णय लिया कि पेयजल समस्या समाधान हेतु आवश्यक राशि हेतु सभी मिलकर प्रयास करेंगे।

22 जनवरी 2002 को पेयजल समस्या समाधान समिति की 11 महिलाओं ने गंगरार के सहायक कलक्टर श्री भवानीसिंह पालावत को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पेयजल समस्या से अवगत कराया एवं समस्या के समाधान का आग्रह किया। सहायक कलक्टर ने प्रार्थना पत्र सहायक अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम, गंगरार को 'प्रार्थियों के बिल से सम्बन्धित परिवाद को पूरी जानकारी के साथ निस्तारण करावें' इस टिप्पणी के साथ प्रेषित कर दिया। यह पत्र लेकर स्वयं महिलाएं सहायक अभियंता, अजमेर विद्युत वितरण निगम, गंगरार से मिली एवं बिल की राशि में छूट देने का आग्रह किया लेकिन सहायक अभियंता ने छूट देने में अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। महिलाओं ने कहा कि कुछ तो राहत प्रदान करें, हम इतनी राशि का भुगतान एक साथ नहीं कर सकतीं। सहायक अभियंता ने कहा कि वो बकाया राशि की भरपाई किश्तों में कर सकते हैं। महिलाएं सहमत हो गईं, क्योंकि उन्हें कोई विकल्प नहीं दिख रहा था तथा पानी की समस्या के चलते उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं।

26 जनवरी, 2002 को ग्राम पंचायत जोजरों का खेड़ा में आयोजित ग्राम सभा में सूरतसिंह जी का खेड़ा की 25 महिलाओं सहित 'कट्स' सचेतक श्रीमती मंजू राजपूत भी मौजूद थी। बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों से सम्पर्क करके पेयजल समस्या के निराकरण हेतु सहयोग प्रदान करने का आग्रह किया। इस पर सरपंच श्रीमती अलोलबाई रेबारी ने कहा कि आपका गाँव ग्रामदानी गाँव है, लिहाजा आपकी समस्या आपके गाँव में ही हल होगी। ग्राम सभा में उपस्थित अधिकारियों ने महिलाओं को विकास अधिकारी से मिलने की सलाह दी।

28 जनवरी 2002 को महिलाओं ने विकास अधिकारी गंगरार से सम्पर्क कर उन्हें पेयजल समस्या से अवगत कराया एवं समस्या समाधान हेतु पत्र प्रस्तुत किया। इस पर कार्यवाही करते हुए विकास अधिकारी ने एक पत्र क्रमांक/पसग/पचा/2002, 28 जनवरी 2002 को अध्यक्ष, ग्रामदानी गाँव सूरतसिंह जी का खेड़ा को लिखा जिसमें लिखा कि 'आप पेयजल समस्या को दूर करने हेतु जल वितरण समिति का गठन कर पेयजल योजना गठित समिति को सुपुर्द करना सुनिश्चित करें ताकि समिति पेयजल योजना सुचारू रूप से चला सके।' इस आदेश की एक प्रति, स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष श्रीमती मानकंवर को भी दी गई।

पेयजल समस्या समाधान हेतु पूर्व गठित समिति को ही सर्वसम्मति से विधिवत पेयजल वितरण समिति बनाया गया। इसमें श्रीमती राम कंवर श्रीमती मान कंवर, श्रीमती उदा बाई व श्रीमती अण्छी बाई सहित उन्हीं 11 महिलाओं को शामिल किया गया जो पेयजल समस्या समाधान समिति में थीं।

पेयजल समिति ने एक आकलन के आधार पर अंदाज लगाया कि पेयजल योजना को पुनः चालू करने एवं गाँव में घरों तक पानी लाने हेतु 16-17 हजार रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें विद्युत विभाग का बकाया भुगतान एवं पाइप्स एवं अन्य सामग्री का व्यय शामिल

था। उक्त धन राशि एकत्र करने हेतु महिलाओं की बैठक बुलाई गयी जिसमें गाँव के कुछ पुरुष भी शामिल हुए एवं आवश्यक धन राशि एकत्र करने के लिए प्रत्येक परिवार से 300 रुपए एकत्र करने का निर्णय लिया। समिति ने यह भी निर्णय लिया कि जो परिवार पैसा नहीं दे सकता वो 300 रुपए के बराबर श्रमदान करे। इस कदम से समिति के पास कुल 14000 रुपए की व्यवस्था हो गई। महिलाओं द्वारा एक धार्मिक आयोजन किया गया था। दो हजार रुपए उसमें से बचे हुए थे, वो भी महिलाओं ने इस कार्य हेतु दे दिये। महिलाओं द्वारा किये गये इस कार्य से प्रभावित होकर ग्रामसभा ने भी अपने कोष से 2000 रुपए उपलब्ध करवाये। इस राशि से सबसे पहले विद्युत विभाग का बकाया भुगतान कर विद्युत कनेक्शन पुनः जुड़वाया गया एवं तात्कालिक राहत हेतु टंकी से पेयजल आपूर्ति शुरू की गयी। गाँव तक पाइप लाईन बिछाने हेतु पाइप्स एवं अन्य सामग्री की भी खरीद की गयी। सामग्री क्रय करने के दौरान समिति को महसूस हुआ कि इस काम के लिए कम से कम 22 से 23 हजार रुपए की आवश्यकता होगी। समिति ने प्रति परिवार 50 रुपए एकत्र करने का निर्णय लिया तथा 2000 रुपए समिति ने माँ कालिका स्वयं सहायता समूह से ऋण के रूप में लिये। इस प्रकार समिति के पास विभिन्न चरणों में 22000 रुपए एकत्र हो गये जिससे गाँव तक पाइप बिछाने का कार्य हुआ, लेकिन छोटा मोटा काम बाकी रह गया तथा मिस्त्री का भुगतान भी बकाया था। इस सबके लिये लगभग 3000 रुपए की और आवश्यकता थी। यह राशि समूह सदस्य श्रीमती मानकुंवर ने अपने आभूषण गिरवी रखकर उपलब्ध कराई।

पेयजल योजना के सतत एवं सुचारू संचालन हेतु महिलाओं की समिति को अधिकृत किया गया तथा महिलाओं ने सर्वसम्मति से कुछ नियमों तथा व्यवस्था का निर्धारण भी किया।
मसलन -

- पेयजल हेतु प्रतिमाह प्रत्येक परिवार 100 रुपए देगा।
- जो परिवार रुपए नहीं देगा उस परिवार को पेयजल आपूर्ति नहीं की जायेगी।
- पेयजल आपूर्ति हेतु एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा, जो विद्युत आपूर्ति के अनुसार पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। इस व्यक्ति को 600 रुपए प्रतिमाह मानदेय दिया जायेगा।
- आय-व्यय का ब्यौरा व्यवस्थित रखने की जिम्मेवारी पेयजल वितरण समिति की होगी तथा उपभोक्ताओं के चाहने पर समिति आय-व्यय का विवरण प्रस्तुत करेगी।

ताजा सूचना यह है कि 11 सदस्यों वाली समिति द्वारा गाँव में पेयजल योजना का सुचारू रूप से संचालन किया जा रहा है, जिससे गाँव को नियमित एवं सुचारू रूप से पेयजल उपलब्ध हो रहा है। यद्यपि अभी भी समिति की महिलाओं को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे प्रति परिवार प्रतिमाह लिये जाने वाली राशि का समय पर प्राप्त न होना। गाँव के कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महिलाओं की इस सफलता, जागरूकता एवं कार्य

प्रणाली को पचा नहीं पा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति समूह की महिलाओं पर इस माध्यम से पैसा खाने एवं भावी राजनैतिक आधार तैयार करने का आरोप लगाकर अपनी संकीर्ण मानसिकता का परिचय दे रहे हैं तथा समिति के सामने मुसीबतें खड़ी करने के प्रयास कर रहे हैं। लेकिन, इस सबसे महिलाएँ विचलित नहीं हैं। उनका कहना है कि हम अच्छा एवं ईमानदारी से काम कर रही हैं, इस तरह की बातें हमारे कार्य को प्रभावित नहीं कर पायेंगी। इस काम में कुछ युवाओं का भी सहयोग मिलने से समिति के हौसले बुलंद हैं। कुछ पुरुषों द्वारा अड़चनें पैदा करने का प्रत्युत्तर देती हुई समिति की सदस्य एवं मां कालिका स्वयं सहायता समूह की सदस्य श्रीमती राम कुंवर कहती है कि 'हाथी निकले जद कई कुत्ता भसे'।

पंचायत समिति निम्बाहेड़ा के संकुल बरड़ा के गाँव बोरखेड़ी में कार्यरत वराईमाता महिला समूह ने गाँव की पेयजल समस्या के समाधान हेतु समूह सचिव श्रीमती बदामबाई रावत के माध्यम से समय-समय पर स्थानीय सरपंच को बार-बार आग्रह किया, लेकिन परिणाम शून्य ही रहा। पुनः श्रीमती बदामबाई ने समूह की महिलाओं को साथ लेकर पंचायत समिति निम्बाहेड़ा विकास अधिकारी से सम्पर्क कर उन्हें गाँव की पेयजल समस्या से अवगत करवाया एवं इस समस्या का अतिशीघ्र समाधान करने हेतु मौखिक निवेदन किया एवं लिखित में भी प्रार्थना-पत्र दिया। परिणामस्वरूप गाँव में जनवरी, 2001 में हैंडपम्प लग गया। गौरतलब है कि इस गाँव के लिए यह पहला हैंडपम्प है जो ग्रामवासियों के लिए वरदान साबित हुआ है।

एक स्वैच्छिक संस्था के प्रतिबद्ध प्रयासों की कहानी

आपने पढ़ा, और महसूस भी किया होगा कि सूरत सिंह जी का खेड़ा गाँव की महिलाओं ने असंभव से लगने वाले काम को किस तरह से संभव करके दिखा दिया। लेकिन, जाहिर है कि यह काम महिलाओं की सामूहिक ताकत के बूते हुआ और यह ताकत उन्हें हासिल हुई स्वयं सहायता समूह के बूते। जाहिर है कि स्वयं सहायता समूह की प्रेरणा उन्हें किसी ने तो दी ही होगी।

दरअसल, सूरतसिंह जी का खेड़ा गाँव के मां कालिका स्वयं सहायता समूह का गठन और फिर इस समूह के जरिये गाँव की समस्याओं के समाधान का प्रयास, ऐसा प्रयोग है जो स्वैच्छिक संस्था 'कट्स' के सोच के तहत लगातार सफलता की बुलंदियों को छू रहा है। 'कट्स' ही वह संस्था है जिसके प्रयासों से सूरतसिंह जी खेड़ा में जुलाई 2002 में मां कालिका समूह बना।

'कट्स' ही वह संस्था है जिसने पिछले डेढ़ दशक के दौरान लोगों के जीवन स्तर में सुधार हेतु ऐसे अनेकों प्रयोग किये जो एक क्रांतिकारी बदलाव की शुरूआत का अहसास सहज ही करा देते हैं। 'कट्स' ने चित्तौड़गढ़ जिले में अपनी गतिविधियों के फैलाव के तहत 'मानव विकास केन्द्र' की स्थापना की थी। इस केन्द्र के सक्रिय कार्यकर्ताओं की टीम के प्रयासों का ही सुफल है यह। इस केन्द्र के जरिये 'कट्स' ने समाज की अपेक्षाओं, बुनियादी जरूरतों तथा समस्याओं को निकटता के साथ न सिर्फ महसूस किया अपितु इलाके में समुदाय के सहयोग से विभिन्न जनोन्मुखी परियोजनाओं के क्रियान्वयन का बीड़ा उठाया।

डेढ़ दशक के कार्यकाल के दौरान कट्स ने सिद्ध के साथ इस तथ्य को महसूस किया कि इलाके में पानी की जबर्दस्त समस्या है तथा इस समस्या के समाधान को प्राथमिकता देना वक्त की मांग है। इस तथ्य को महसूस किये जाने की भी एक रोचक घटना है।

महिलाओं की सामाजिक स्थिति एवं स्तर में सुधार हेतु 'कट्स' द्वारा संचालित ग्रामीण महिला सशक्तिकरण परियोजना के एक प्रेरक दल प्रशिक्षण में जब महिला अधिकारों की बात

हो रही थी तो श्रीमती रतनी बाई ने कहा कि 'पीबा ने तो पाणी कोने, थे कस्या अधिकार की बात करो'। ऐसे ही एक प्रशिक्षण के दौरान भदेसर पंचायत समिति के गरदाना गाँव के महिला मण्डल की सदस्य श्रीमती केली बाई रेगर ने महिलाओं के लिए शौच हेतु जगह नहीं होने तथा गाँव में फैल रहे कीचड़ एवं गंदगी का मुद्दा उठाया। विभिन्न कार्यक्रमों, चौपाल बैठकों एवं समुदाय के साथ सम्पर्क एवं कार्य के दौरान ऐसी कई बातें उभरी एवं 'मानव विकास केन्द्र' पर पानी एवं सफाई के मुद्दे पर कार्य करने की लोगों की मांग बढ़ने लगी। उधर केन्द्र को अनुभव भी हो रहा था कि जल संरक्षण एवं संवर्धन तथा स्वच्छता पर कार्य करना आवश्यक है। इसी नजरिये से केन्द्र ने पानी के अधिकार को बुनियादी अधिकार मानते हुए जल संरक्षण एवं संवर्धन हेतु गंभीरता पूर्वक प्रयास शुरू किये।

मूल कारणों, मुद्दों की पहचान एवं कार्य नीति का निर्धारण, जल संकट से निपटने एवं लोगों को स्वच्छ एवं पर्याप्त पेयजल मुहैया कराने हेतु पानी के मुद्दे पर लोगों को संगठित करने, धरना देने, पानी की व्यवस्था हेतु प्रशासन पर दबाव डालने, प्रदर्शन करने, प्रशासनिक अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों का घेराव करने जैसे कई तरह के सुझाव केन्द्र के पास आ रहे थे, लेकिन केन्द्र एवं केन्द्र से जुड़े लोगों को यह सुझाव पानी की समस्या का स्थाई समाधान नहीं लगे।

'कट्स' ने अपने स्तर पर एवं विभिन्न लोगों के साथ चर्चा कर पानी के संकट के मूल कारण एवं उनके व्यवहारिक समाधानों पर विचार एवं अध्ययन किया जिससे निम्नलिखित कारण एवं स्थाई उपायों की पहचान की गई।

पानी के संकट एवं समस्या के मूल कारण	उपाय
• भू-जल का अत्यधिक दोहन। • वर्षा जल के संचय की व्यवस्था नहीं। • भू-जल पुनर्भरण के प्रयास नहीं। • औसत वर्षा में गिरावट। • जल प्रदूषण एवं जल का असन्तुलित उपयोग • प्राकृतिक जल स्रोतों की उपेक्षा • वनों का ह्रास एवं वर्षा का कम होना। • बदली जीवनशैली से पानी की अत्यधिक खपत • पेयजल योजनाओं में जन भागीदारी का अभाव।	• बूंद-बूंद जल का संचय हो। • बूंद-बूंद जल का सदुपयोग हो। • भू-जल का पुनर्भरण हो। • प्राकृतिक जल स्रोतों का उचित रख-रखाव हो। • जल का संतुलित दोहन हो। • वन संरक्षण एवं संवर्धन • सिंचाई की कम खर्चीली विधियों का उपयोग। • जीवन शैली में बदलाव। • पेयजल योजनाओं में लोगों की भागीदारी हेतु जन जागरूकता अभियान।

पेयजल एवं जल से जुड़ी अन्य समस्याओं से महिलाएँ सर्वाधिक पीड़ित समूह है अतः उन्हें सर्वप्रथम इस मुद्दे के साथ जोड़कर पेयजल की स्थिति, जल स्रोतों के रख-रखाव हेतु, जल से सम्बन्धित मुद्दों को उजागर करने एवं पेयजल समस्या के समाधान हेतु उनका आमुखीकरण एवं दक्षतावर्धन किया गया, परिणाम स्वरूप महिलाओं ने इस पर कार्य करना प्रारंभ किया।

तरुण भारत संघ; अलवर, लोक चेतना संस्थान; जयपुर एवं अन्य स्वयं सेवी संगठनों द्वारा दिसम्बर, 1998 में देश की जल नीति कैसी हो? इस सम्बन्ध में चलाये गये जल नीति पर जन संवाद कार्यक्रम में संस्था ने मुख्य एवं सक्रिय भूमिका का निर्वाह किया एवं चित्तौड़गढ़ जिले में इस प्रयास का नेतृत्व किया।

THE HINDU, Monday, February 23, 2004

Furthering Gandhi's vision of village republics

AT A time when no newspaper used to reach remote villages of any State in the country, Pradeep Mehta started publishing a poster-sized newspaper from Jaipur called "Gram Gadar" (Village Revolution). Soon, this wall-newspaper became very popular in rural areas of Rajasthan and seeing the growing demand of "Gram Gadar", Mr. Mehta established Consumer Unity and Trust Society (CUTS).

While the publication of "Gram Gadar" was discontinued for a while, CUTS relaunched this popular wall newspaper in January 1994 with support from the Ford Foundation. "The main objectives of Gram Gadar has been to increase the awareness of the poor people of the village and weaker sections of society, especially the oppressed classes like the tribals, scheduled castes and scheduled tribes," says Mr. Mehta, adding it also aims to awaken and educate the rural women about their legal and constitutional rights and encourage them to fight for it by providing legal information to them. For this purpose, "Gram Gadar" has two sections - "Consumer Decisions" and "Legal Rights".

Now celebrating its 20th anniversary, "Gram Gadar" - which has inspired many other wall newspapers and alternate magazines in the rural areas of the country - publishes the general problems of the rural people in the form of news reports to prepare villagers for the changing times and awaken them. It also informs villagers about the rural development schemes of the Government; analyses these schemes; encourages them to work together by coalescing them; draws their attention towards the health and health-related problems of the village; educate and sensitise them about the basic needs and draw the attention of the local administration to these issues.



Villagers reading 'Gram Gadar', a wall-newspaper.

"Gram Gadar" is sent every month to people in the rural areas of Chittorgarh, Ajmer, Bundi, Bhilwara, Udaipur and Kota districts in Rajasthan. And without doubt, the adage "Information is Power" has been proved right through this wall-newspaper. Rural people are now better informed about their rights and they find consumer court decisions and other legal information published in different editions of "Gram Gadar" very interesting.

Also, the arrival of "Gram Gadar" in various rural areas and questions raised under the 'Nigrahi' section has led to an increased activity in the working of the Government departments. Where mere announcements of various schemes were made, now the bureaucrats are busy in implementing them. And yes, readers of "Gram Gadar" now strongly believe that this would help in removing the inertia of the Government departments and undertakings. Truly, "Gram Gadar" has in its own way furthered Mahatma Gandhi's vision of village republics.

By K. Kannan

‘कट्स’ द्वारा इसी संदर्भ में 2 सितम्बर, 1998 को स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधियों एवं जनप्रतिनिधियों की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में जल की स्थिति, जल संकट के प्राकृतिक, व्यवस्था जनित कारक एवं उपाय, राजस्थान भूमिगत जल विनियम विधेयक 1997 आदि पर चर्चा एवं विचार-विमर्श किया गया।

जल जागरूकता हेतु ‘कट्स’ द्वारा अपने लोकप्रिय प्रकाशन भित्तिपत्र ‘ग्राम गदर’, त्रैमासिक पत्रिका ‘आगे बढ़नो होसी’ एवं अन्य पत्र-पत्रिकाओं में प्रमुखता एवं प्राथमिकता दी गयी तथा उक्त विषय पर निम्नलिखित संदर्भ सामग्री का प्रकाशन किया :

- जल ही जीवन है इसे सुरक्षित बनाये रखें।
- पेयजल उपभोक्ताओं हेतु मार्गदर्शिका।

जल एवं स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु संस्था द्वारा समय-समय पर प्रमुख समाचार पत्रों में लेख लिखे गये जिनमें विश्व जल दिवस 22 मार्च 2001 को ‘कट्स’ कार्यक्रम अधिकारी श्री धन्नासिंह रावत द्वारा लिखित ‘जल संसाधन कोई विरासत नहीं भावी पीढ़ी की अमानत है’ प्रमुख लेख है।

राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान के तहत प्राकृतिक जल स्रोतों के रख-रखाव में ग्राम पंचायतों की भूमिका विषय पर चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति के सरपंच एवं वार्डपंचों की दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन कर जिले के प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान, उनकी स्थिति एवं प्राकृतिक जल स्रोतों के रख-रखाव पर चर्चा की गई तथा इस हेतु प्रयास करने की पैरवी की गई।

संस्था द्वारा वर्ष 2000 में 1 से 15 मई के दौरान व्यापक रूप से जल जागरूकता अभियान का संचालन कर जन समुदाय एवं जनप्रतिनिधियों को जल संरक्षण एवं स्वच्छता के मुद्दे पर जागरूक एवं संवेदनशील बनाने का प्रयास किया गया।

दो चरणों में आम जनता को पानी एवं स्वच्छता के मुद्दे पर जागरूक किया गया एवं दूसरे चरण में 8 से 15 मई 2000 के दौरान ग्राम सभाओं एवं वार्ड सभाओं में जन सहभागिता के आधार पर पानी एवं स्वच्छता के मुद्दों को उठाया। ग्राम सभाओं एवं वार्ड सभाओं में बनने वाली विकास योजनाओं में जल एवं स्वच्छता से सम्बन्धित योजनाओं को प्राथमिकता से शामिल करवाने का प्रयास किया।

जल के प्रति व्यापक जनसंवाद शुरू करने, जन समुदाय एवं सरकार का ध्यान बढ़ते जल संकट की ओर आकर्षित करने तथा जल प्रबंधन कार्यक्रमों में समुदाय की भागीदारी को बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व जल दिवस 22 मार्च से लेकर विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2001 के दौरान जल चिन्तन सम्मेलनों की श्रृंखला का आयोजन किया।

इन जल चिन्तन सम्मेलनों में 'पानी के बाबा' नाम से प्रसिद्ध एवं मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित श्री राजेन्द्र सिंह सहित वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों, नीति निर्धारकों एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी सहभागिता प्रदान की। पांच स्थानों पर आयोजित उक्त सम्मेलनों में लगभग 10,000 लोगों ने भागीदारी दी।

वर्ष 2001 में जल चिन्तन सम्मेलनों एवं उसके बाद विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसरों के दौरान लोगों का जल के साथ भावनात्मक जुड़ाव पैदा करने, जल संरक्षण एवं संवर्धन, पुरानी समृद्ध परम्पराओं को पुनः स्थापित करने एवं उन्हें बढ़ावा देने हेतु जल स्रोतों एवं जल का पूजन, जल कलश यात्रा, जल चौपालें, जल गोष्ठी तथा जल संरक्षण एवं संवर्धन हेतु श्रमदान आदि गतिविधियों का आयोजन किया गया।

प्राकृतिक जल स्रोतों के प्रति जन आस्था बनाने हेतु प्राकृतिक जल स्रोतों का पूजन कर जल स्रोतों एवं जनों का जुड़ाव पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया।

वर्ष 1999 से प्रति वर्ष जून माह में सामाजिक जागरूकता सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को जल एवं स्वच्छता से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर जानकारी एवं जागरूक बनाने का प्रयास किया जाता है। इन कार्यक्रमों के दौरान स्थानीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रभावशाली सूचना, शिक्षा एवं संचार माध्यमों गीत, नाटक एवं कठपुतली खेल के माध्यम से 'कट्स' के संचार दल द्वारा जल एवं स्वच्छता के प्रति चेतना जगाने का प्रयास किया जाता है।

जल एवं स्वच्छता के प्रति लोक जागृति हेतु संस्था वृत्त चित्र एवं विडियो शो का प्रदर्शन करती है। इस हेतु संस्था के पास सभी आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं।

विद्यार्थियों एवं युवा वर्ग को जल एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक करने एवं इस कार्य में अपनी भागीदारी देने के लिए प्रेरित करने हेतु संस्था द्वारा विद्यालय में प्रार्थना सभाओं एवं विद्यालयों द्वारा उपलब्ध करवाये गये समय के अनुसार संस्था विद्यार्थियों एवं युवाओं को जागरूक एवं प्रेरित करने का प्रयास करती है।

जल, स्वच्छता एवं पर्यावरण सम्बन्धित अन्य कार्यों से प्रभावित होकर जिला प्रशासन चित्तौड़गढ़ द्वारा संस्था को जिला पर्यावरण समिति का सदस्य मनोनीत किया, जिसमें संस्था अपना सक्रिय योगदान दे रही है तथा पर्यावरण समिति के माध्यम से जल एवं स्वच्छता के मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाती है।

'कट्स' द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के तहत गठित महिला मण्डल एवं महिला स्वयं सहायता समूहों को संस्था जल एवं स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाया गया एवं इन मुद्दों पर कार्य करने हेतु उनकी दक्षता एवं कुशलता को बढ़ाया गया। परिणाम स्वरूप, महिलाएं अपने इन संगठनों के माध्यम से गाँव की पेयजल एवं स्वच्छता सम्बन्धित समस्याओं के समाधान हेतु महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान कर रही हैं।

बाल अधिकारों के संरक्षण एवं विभिन्न क्षेत्रों में बाल सहभागिता को बढ़ावा देने हेतु संस्था द्वारा चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले में 50 बाल पंचायतों का गठन किया हुआ है। संस्था का विश्वास है कि यदि बच्चे किसी मुद्दे पर जागरूक हो जायें तो आने वाला समाज स्वतः ही सुधर जायेगा। इसी विश्वास के आधार पर संस्था द्वारा बाल पंचायतों को जल एवं स्वच्छता के मुद्दों पर जागरूक किया एवं इस पर कार्य करने हेतु प्रेरित किया गया। परिणामस्वरूप, ये बाल पंचायतें गाँव के हैण्डपंप को ठीक करवाने, नये हैण्डपंप, ट्यूबवैल लगवाने, पेयजल एवं अन्य जल स्रोतों की देखरेख करने, लोगों को जल एवं स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु प्रभावशाली ढंग से कार्य कर रही हैं। इन बाल पंचायतों में जल एवं स्वच्छता के मुद्दों पर प्रभावी ढंग से कार्य करने हेतु बाल पंचायतों में जल मंत्री एवं स्वच्छता मंत्री भी बनाये हुए हैं।

विश्व ग्रामीण महिला दिवस के उपलक्ष्य में 17 अक्टूबर, 2002 को गवर्नमेंट हॉस्टल, जयपुर में एक दिवसीय महिला प्रतिनिधियों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला का उद्घाटन निवर्तमान जलदाय मंत्री डॉ. सी.पी. जोशी ने किया। उक्त अवसर पर डॉ. जोशी ने कहा कि पेयजल संकट से निपटने के लिए जल संरक्षण पर ध्यान दिया जाना चाहिए और महिलाएँ अपने क्षेत्रों में यह कार्य बेहतर ढंग से कर सकती हैं। उक्त अवसर पर श्री जोशी ने पारम्परिक जल स्रोतों के लुप्त होने पर चिन्ता प्रकट की। कार्यशाला में राज्य के पूर्व पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नाथूसिंह गूर्जर, पूर्व मुख्य सचिव श्री एम.एल. मेहता ने भी अपने विचार व्यक्त किये। उक्त कार्यशाला में सम्पूर्ण राजस्थान से 150 महिला प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

‘कट्स’ की तरफ से स्थापित ‘मानव विकास केन्द्र’ 1995 से ग्रामीण महिला विकास एवं ग्रामीण महिला सशक्तिकरण सहित कई परियोजनाओं के माध्यम से गाँव के लोगों के जीवन स्तर में सुधार हेतु प्रयासरत है। ‘कट्स’ के हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप, लोग विशेषकर महिला पंचायती राज प्रतिनिधि अपने अधिकारों के प्रति जानकार एवं जागरूक हुए तथा गाँव के विकास हेतु स्वयं पहल करने लगे हैं। ‘कट्स’ के प्रयासों के परिणामस्वरूप महिलाओं द्वारा स्वयं सहायता समूहों तथा बच्चों द्वारा बाल पंचायत का गठन हुआ है, जिसके माध्यम से महिलाएं एवं बच्चे स्वयं के तथा गाँव के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।

अलख जगा है गांव गांव में

सूरतसिंह जी का खेड़ा ही क्यों! चित्तौड़गढ़ जिले के अनेक ऐसे गांव हैं जहां के लोग 'कट्स' के प्रयासों से और अपनी हिम्मत व लगन से पानी की समस्या के समाधान में जुटे हैं तथा सुकून की जिन्दगी जी रहे हैं।

ऐसा ही एक गांव है माताजी की ओरड़ी गांव। माताजी की ओरड़ी, चित्तौड़गढ़ पंचायत समिति की अरनिया पंथ ग्राम पंचायत का राजस्व गाँव है। यह गाँव जिला मुख्यालय से पूर्व दिशा में मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। 125 परिवारों वाले इस गाँव की आबादी लगभग 650 है।

अन्य गाँवों की तरह माताजी की ओरड़ी की भी कई तरह की समस्याएँ थीं, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण थी पेयजल समस्या। पेयजल समस्या के समाधान हेतु 'कट्स' की प्रेरक वार्डपंच श्रीमती कमला बाई ने गाँव की महिलाओं तथा लोगों के साथ मिलकर वर्ष 1997-98 में पनघट योजना (ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुलभ कराने हेतु राजस्थान सरकार की एक लोकप्रिय योजना) स्वीकृत करवाई। पनघट योजना में 10 प्रतिशत अंशदान ग्रामीणों का होना आवश्यक है, उक्त योजना के तहत 2 लाख रुपये की स्वीकृति मिली, जिसमें योजना के प्रावधानों के अनुसार 10 प्रतिशत राशि अर्थात् 20 हजार रुपये ग्रामीणों अथवा ग्राम पंचायत को जमा कराने थे इसके बाद ही 2 लाख रुपये सरकार द्वारा उपलब्ध करवाये जा सकते थे। योजना की स्वीकृति मिलने के कई माह व्यतीत होने के बाद भी 20 हजार रुपये एकत्र कर जमा कराने में न तो ग्राम पंचायत एवं न ही ग्रामवासियों ने विशेष रुचि दिखाई। परिणामस्वरूप, पनघट योजना स्वीकृत होने के बाद भी पेयजल समस्या के समाधान हेतु कारगर कार्य न हो सका, इधर गाँव के एक मात्र हैण्डपंप के नकारा हो जाने से पेयजल समस्या और अधिक बढ़ गई। पेयजल समस्या से सर्वाधिक प्रभावित गाँव की महिलाएं एवं बच्चे हो रहे थे, अतः यह मुद्दा महिलाओं से अधिक सरोकार रखता था। महिलाओं ने पुनः प्रयास करके ग्रामवासियों को तथा ग्राम पंचायत को योजना के तहत जमा कराई जाने वाली राशि जमा कराने का आग्रह किया, लेकिन दोनों ही तरफ से निराशा ही हाथ लगी।

ग्राम पंचायत एवं ग्रामीणों की उक्त मुद्दे पर उदासीनता को भाँप कर महिलाओं ने स्वयं ही उक्त समस्या के समाधान का बीड़ा उठाया। गाँव की महिलाओं ने वार्डपंच श्रीमती कमला बाई के नेतृत्व में बैठक आयोजित कर पेयजल समस्या के समाधान पर चर्चा की। उक्त बैठक में गाँव की 60-70 महिलाओं ने भाग लिया। बैठक में निर्णय लिया कि 6 फरवरी, 1999 को सभी महिलाएं विकास अधिकारी से मिलकर नकारा पड़े हैण्डपंप को दुरुस्त कराने एवं पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था से सम्बन्धित बात करेगी तथा बाद में पनघट योजना को पूर्ण करने का प्रयास करेगी। महिलाओं ने इस कार्य में सहयोग हेतु श्री भँवरलाल गुर्जर सहित कुछ युवा एवं जागरूक पुरुषों को भी अपने साथ जोड़ लिया।

दूसरी तरफ गाँव में इस बात को लेकर चर्चा होने लगी कि महिलाएं पानी की व्यवस्था कैसे करवायेंगी? कुछ पुरुष तो महिलाओं के इस प्रयास की हंसी उड़ाने से भी नहीं चूके। पुरुषों को यह विश्वास नहीं हो रहा था कि महिलाएं इस कार्य में सफल हो सकेंगी।

आखिर में 6 फरवरी, 1999 को 40-50 महिलाएं पहली बार घर से बाहर निकल कर पंचायत समिति मुख्यालय पर आई और विकास अधिकारी, चित्तौड़गढ़ से सम्पर्क कर नकारा पड़े हैण्डपंप को ठीक करने का आग्रह किया। महिलाओं ने विकास अधिकारी के समक्ष रोष भी प्रकट किया और कहा कि उन्होंने लंबे समय से खराब पड़े हैण्डपंप को ठीक क्यों नहीं करवाया? विकास अधिकारी ने महिलाओं के उग्र रवैये को भाँप कर मिस्री को तुरंत निर्देश देकर नकारा हैण्डपंपों को ठीक करने को कहा।

विकास अधिकारी ने माताजी की ओरड़ी गाँव में स्वीकृत पनघट योजना के संदर्भ में महिलाओं को याद दिलाया एवं गाँव वालों द्वारा 10 प्रतिशत राशि जमा नहीं कराने का कारण जानना चाहा। विकास अधिकारी ने महिलाओं से यह भी कहा कि उनके पेयजल समस्या का स्थाई समाधान तो पनघट योजना के पूर्ण होने से ही होगा। विकास अधिकारी से मिलने आई सभी महिलाओं ने पंचायत समिति में ही बैठ कर निर्णय लिया कि सभी महिलाएं गाँव से 20 हजार रुपये एकत्र कर पनघट योजना हेतु पंचायत समिति में जमा करवा देंगी। एक सप्ताह के प्रयासों के फलस्वरूप महिलाओं ने गाँव से 20,000 रुपये एकत्र कर पंचायत समिति में जमा करवा दिये तथा मार्च, 1999 तक पनघट योजना का कार्य पूरा हो गया। नये वर्ष, 2000 से महिलाओं ने नये पेयजल स्रोत से पानी पीना शुरू कर दिया। महिलाओं के इस प्रयास को पुरुषों सहित सभी ग्रामीणों ने सराहा।

इसी गाँव की एक और कहानी। गाँव में सिंचाई विभाग द्वारा एक एनिकट बनाया गया था। इस एनिकट से गाँव के पेयजल स्रोतों का जलस्तर बना रहता था एवं गाँव के पास होने के कारण पशुओं के लिए भी पानी उपलब्ध हो जाता था। देखभाल के अभाव में यह एनिकट क्षतिग्रस्त हो गया। परिणामस्वरूप, एनिकट में पानी का रुकना बंद हो गया। इससे गाँव के पेयजल स्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा एवं पशुओं को पानी पिलाने की समस्या भी पैदा हो

गई। साथ ही महिलाओं पर काम का बोझ एवं समस्याएं भी बढ़ी। माताजी की ओरड़ी में 'ग्रामीण सशक्तिकरण परियोजना' के तहत आयोजित चौपाल बैठक में एनिकट की मरम्मत कराने पर चर्चा हुई। चौपाल में हुए निर्णय के अनुसार ग्रामवासियों ने ग्राम पंचायत से एनिकट को ठीक कराने का आग्रह किया, लेकिन एनिकट सिंचाई विभाग का होने के कारण ग्राम पंचायत ने मना कर दिया। गाँव की महिलाओं ने सिंचाई विभाग को पत्र लिखा, लेकिन वहां कोई संतोषजनक कार्यवाही नहीं हुई। इस पर महिलाओं ने अपने स्तर पर ही कार्यवाही करने का निर्णय लिया।

महिलाओं ने मिलकर सामूहिक श्रमदान कर एनिकट पर मिट्टी व पत्थर डाले। आज उक्त एनिकट से गाँव के पशु अपनी प्यास बुझाते हैं और आस-पास का जल स्तर भी बढ़ा है। इस प्रकार महिलाओं की पहल ने इस कार्य को अंजाम दिया।

पानी की समस्या के समाधान के लिए गाँव-गाँव चल रहे अलख से पीपलखेड़ी गाँव भी अछूता नहीं रहा।

कपासन उपखण्ड के गाँव पीपलखेड़ी में पेयजल स्रोत के नाम पर केवल हैण्डपंप ही थे और वह भी सूख गये थे। महिलाएं गाँव से दो किलोमीटर दूर से पानी लाने को मजबूर थीं। गाँव में भी एक हैण्डपंप था मगर उसमें भी पानी नाम मात्र को आता था। वहीं महिलाएं लाइन लगाकर बैठती थीं। रात के 12.00 बजे तक जग कर पानी भरना उनके लिए दुखदायी साबित हो रहा था।

ग्रामीण महिला सशक्तिकरण परियोजना के तहत आयोजित चौपाल बैठक में पेयजल समस्या एवं इसके निदान पर चर्चा हुई। उक्त बैठक में 'कट्स' प्रतिनिधि श्री मदन लाल कीर ने भी भाग लिया। 'कट्स' प्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि इस समस्या के समाधान हेतु ग्राम पंचायत से सम्पर्क साधा जाय। उस समय कुछ पुरुषों ने सरपंच से मिलने की जिम्मेदारी ली, लेकिन मिले नहीं। अगले माह पुनः हुई चौपाल बैठक में पेयजल का मुद्दा फिर प्रमुखता से उभरा। इस चौपाल बैठक में गाँव के वार्डपंच को भी बुलाया गया। वार्डपंच से महिलाओं ने कहा कि पंचायत की बैठक में पेयजल समस्या के बारे में चर्चा कर समस्या का समाधान करावें। वार्डपंच ने कहा कि मैं पहले भी ग्राम पंचायत में इस मुद्दे पर चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया, अतः वो कुछ भी मदद नहीं कर सकता। पुरुषों ने भी इस मुद्दे पर कोई खास रुचि नहीं दिखाई। तब, स्वयं महिलाओं ने ही इस समस्या के समाधान का बीड़ा उठाया और वे सरपंच से मिलीं। सरपंच ने कहा कि गाँव में इतने सारे हैण्डपंप हैं, पानी नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ? महिलाओं ने कहा कि हैण्डपंपों की गहराई कम है, अतः गाँव में ट्यूबवेल लग जाए तो समस्या से निजात मिल सकती है। सरपंच ने कहा कि इसके लिए बजट नहीं है।

ग्राम पंचायत एवं सरकार से किसी प्रकार की राहत नहीं मिलती देखकर महिलाओं ने अपने स्तर पर समस्या का समाधान करने की जुगत बैठाई। ट्यूबवेल लगाने एवं टंकी बनाने तथा विद्युत कनेक्शन लेने पर होने वाले व्यय के बारे में जानकारी प्राप्त की। पता चला कि कम से कम 50,000 रुपये की आवश्यकता है। महिलाओं ने पुनः गाँव में बैठक की। इस बैठक में पुरुषों को भी बुलाया और गाँव के 10-12 पुरुषों को उनकी पत्नियों ने सहयोग प्रदान करने हेतु तैयार कर लिया।

महिलाओं को पता चला कि गाँव के सार्वजनिक बीड़े (चारागाह) की घास को बेचने से कुछ पैसा प्राप्त हुआ था, जो गाँव के लोगों के पास है। उन पैसों का उपयोग इस कार्य के लिए किया जा सकता है। इस जानकारी से महिलाओं का हौसला काफी बढ़ गया। शेष राशि महिलाओं ने अपने प्रयासों से एकत्र कर जनवरी, 2001 में गाँव में सार्वजनिक ट्यूबवेल लगवा लिया और आज वे पूरे सुकुन में हैं।

चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर पंचायत समिति के गरदाना गाँव में सरकार द्वारा पेयजल हेतु पनघट योजना स्वीकृत की गई, जिससे गाँव में ट्यूबवेल लगा एवं पानी की टंकी बनाई गई। ग्राम पंचायत द्वारा इस योजना के उपभोक्ताओं हेतु 500 रुपये प्रति परिवार लेकर नल कनेक्शन देने की योजना बनाई गयी, लेकिन सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से उक्त योजना से एक मोहल्ला वंचित रह गया। स्थानीय बाल पंचायत ने उक्त मोहल्ले में भी जलापूर्ति सुनिश्चित करने की योजना बनाई। मोहल्ले के लोगों से सम्पर्क कर अपनी सामर्थ्य अनुसार आर्थिक सहयोग जुटाने हेतु प्रेरित किया, कुछ राशि बच्चों ने एकत्र की एवं बच्चों की पहल को आगे बढ़ाने हेतु संस्था ने भी थोड़ा आर्थिक सहयोग प्रदान किया। परिणामस्वरूप, मुख्य पेयजल टंकी से पाइप जोड़कर योजना से वंचित मोहल्ले में पेयजल आपूर्ति हेतु सार्वजनिक नल लगवा दिया। बाल पंचायत द्वारा प्रारम्भ की गई उक्त पेयजल योजना का भदेसर पंचायत समिति के निवर्तमान प्रधान श्री गोविन्द सिंह शक्तावत ने 28 मई, 2003 को उद्घाटन किया। नल के आस-पास गंदगी न रहे, इस हेतु बच्चों ने इस पेयजल स्रोत के आस-पास के क्षेत्र की सफाई भी की। बच्चों ने लोगों को नल के आस-पास के क्षेत्र को स्वच्छ रखने हेतु प्रेरित किया एवं पेयजल योजना एवं वे स्वयं भी स्वच्छता हेतु निगरानी रख रहे हैं।

‘कट्स’ संस्था पेयजल एवं स्वच्छता के प्रति जनजागरण के साथ-साथ सरकार को भी जल एवं स्वच्छता में सुधार हेतु रचनात्मक सुझाव एवं सहयोग प्रदान कर रही है। उसी के प्रयासों का असर है कि-

- जल संरक्षण एवं संवर्धन के मुद्दे पर पाँच हजार से भी अधिक लोगों से सीधा संवाद स्थापित हुआ तथा ये लोग जल के प्रति जागरूक हो जल संरक्षण एवं संवर्धन हेतु अपने स्तर पर कार्य करने हेतु प्रेरित हुये।
- जल संरक्षण एवं संवर्धन के मुद्दे पर स्थानीय स्वशासन ईकाइयों (ग्राम पंचायतें) एवं स्थानीय जन संगठनों (स्वयं सहायता समूह, ग्राम स्तरीय सामाजिक संगठन) ने जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य में सक्रिय सहभागिता प्रदान करने का आवश्वासन दिया।
- पेम्दियाखेड़ा (निम्बाहेड़ा) में सम्मेलन के पश्चात् स्थानीय नाड़ी के विकास हेतु प्रधान, पंचायत समिति निम्बाहेड़ा श्री मेघराज जाट की अनुशंसा पर सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई।
- लक्ष्मीपुरा (गंगरार) गाँव में नाड़ी विकास हेतु विधायक क्षेत्र विकास निधि से एक लाख रुपया देने की क्षेत्रीय विधायक द्वारा घोषणा।
- मई, 2001 के दौरान आयोजित वार्ड सभाओं एवं ग्राम सभाओं के दौरान लोगों द्वारा जल संरक्षण एवं संवर्धन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता देने की पैरवी।
- ग्रामीण क्षेत्रों से गाँवों में जल चिंतन सम्मेलन आयोजित करने माँग हुई।
- अरणिया बांध (कपासन) निवासियों द्वारा प्राकृतिक जल स्रोतों की देख-रेख हेतु पुरानी परम्पराएं पालन करने का निर्णय लिया।
- ग्रामीण जल चिंतन सम्मेलनों में ग्रामीणों द्वारा आर्थिक योगदान दिया गया। कार्यक्रम में सहभागी बने कृषक वर्ग सिंचाई की ऐसी विधियाँ अपनाने को प्रेरित हुए जिनमें पानी कम खर्च हो एवं अधिक उपयोग हो।
- जल संरक्षण एवं संवर्धन के क्षेत्र में कार्य कर रही अनुभवी संस्थाओं के साथ संबंध बने एवं सहयोग प्राप्त हो रहा है।
- पेम्दियाखेड़ा, मोहम्मदपुरा (निम्बाहेड़ा), केसरपुरा, सावा की ढाणी, भीलों की झौपड़ियाँ (चित्तौड़गढ़), कीरखेड़ा (कपासन) के लोगों ने वृक्षारोपण किया एवं उनकी देख-रेख कर रहे हैं।
- जल, स्वच्छता एवं पर्यावरण सम्बन्धित अन्य कार्यों से प्रभावित होकर जिला प्रशासन, चित्तौड़गढ़ द्वारा संस्था को जिला पर्यावरण समिति का सदस्य मनोनित किया।
- ‘संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम’ के आर्थिक सहयोग से चित्तौड़गढ़ जिले की निम्बाहेड़ा पंचायत समिति के पेम्दियाखेड़ा गाँव में ‘भूमि एवं जल प्रबन्धन द्वारा जैव विविधता का संरक्षण’ परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

शाबाश रुक्मिणी !

निम्बाहेडा पंचायत समिति के ग्राम पंचायत अरणीया जोशी के गाँव मोठा की नई आबादी (कच्ची बस्ती) में पेयजल का कोई स्रोत नहीं था। वहाँ अनुसूचित जनजाति के 30 भील परिवार, जिनमें 20 परिवार कालबेलिया समुदाय के रहते हैं, में पेयजल का कोई स्रोत नहीं था।

मोठा गाँव की रुक्मिणीबाई भील 'कट्स' द्वारा पूर्व में सम्पादित ग्रामीण महिला सशक्तिकरण परियोजना के अन्तर्गत प्रेरक के रूप में संस्था के साथ जुड़कर संस्था द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर स्वयं भी जागरूक हुई एवं गाँव के लोगो को भी जागरूक किया। फरवरी, 2000 में सम्पन्न हुए पंचायत राज चुनावों में रुक्मिणी को गाँव के लोगों ने अपना वार्डपंच चुना। वार्डपंच के रूप में रुक्मिणीबाई ने 'कट्स' द्वारा आयोजित महिला जनप्रतिनिधियों के दक्षतावर्धन कार्यक्रमों में भाग लेकर अपनी दक्षताओं एवं कुशलताओं को बढ़ाया।

सचेतक के रूप में रुक्मिणीबाई का मूल मकसद था महिलाओं को संगठित करना तथा उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना ताकि वे अपनी सामाजिक स्थिति में सुधार ला सकें। रुक्मिणीबाई के प्रयासों से इस बस्ती की महिलाओं ने लोक देवी के नाम पर 'माँ भवानी महिला स्वयं सहायता समूह' का गठन किया एवं इसी मंच के माध्यम से महिलाओं, बच्चों एवं गाँव के विकास का कार्य शुरू किया। मोठा गाँव की भील बस्ती को पेयजल उपलब्ध कराना समूह का प्राथमिक कार्य था। समूह की तरफ से श्रीमती रुक्मिणीबाई मोठा की कच्ची बस्ती में हैण्डपंप लगाने हेतु स्थानीय सरपंच से मिली एवं हैण्डपंप लगाने का आग्रह किया। ग्राम पंचायत की तरफ से कभी हाँ, तो कभी ना चलती रही, आश्वासन मिलते रहे और दो वर्ष निकल गये, मगर गाँव में हैण्डपंप नहीं लगा।

माँ भवानी महिला स्वयं सहायता समूह की मासिक बैठक में पानी की समस्या पर चर्चा हुई एवं अब तक हैण्डपंप नहीं लगने पर रोष व्यक्त किया। स्वयं रुक्मिणीबाई को भी समूह के रोष का शिकार होना पड़ा। रुक्मिणीबाई की ओर मुखातिब होते हुए समूह की महिलाओं की टिप्पणी थी कि रुक्मिणी, यदि हम हमारी पेयजल समस्या का समाधान नहीं कर सके तो तुम्हारे वार्डपंच होने एवं हमारे द्वारा समूह बनाने का क्या फायदा? इधर पुरुष भी महिलाओं

की असफलता पर हँस रहे थे, कहने लगे “राज उं काम करवाणों लुगायां के बस की बात कोने” (सरकार से काम करवाना औरतों के बस की बात नहीं है)। समूह की टिप्पणी ने रुक्मिणीबाई को एवं पुरुषों की उक्त टिप्पणी ने समूह की महिलाओं को झकझोर दिया एवं समूह ने हर हालात में जल्दी ही हैण्डपंप लगाने को एक चुनौती के रूप में लिया। अब हैण्डपंप के पीछे दो मकसद हो गये, “हैण्डपंप लगाकर पानी की समस्या को हल करना एवं दूसरा, पुरुषों को यह अहसास कराना कि महिलाएं भी सरकार से काम करवा सकती हैं।”

अप्रैल, 2002 में महिला स्वयं सहायता समूह की बैठक आयोजित कर हैण्डपंप लगाने की कार्यवाही पर पुनः विचार हुआ। समूह द्वारा निर्णय लिया कि सरपंच और विकास अधिकारी से मिलकर हैण्डपंप के लिए लिखित में प्रार्थना पत्र दिया जावे तथा सरपंच व विकास अधिकारी द्वारा यथा समय आवश्यक कार्यवाही नहीं करने पर क्षेत्रीय विधायक से सम्पर्क किया जाये तथा इन पर दबाव बनाया जाये।

समूह में हुए निर्णय के अनुसार रुक्मिणीबाई एवं महिलाओं ने ग्राम पंचायत अरनिया जोशी के सरपंच व विकास अधिकारी, निम्बाहेड़ा से मिली एवं हैण्डपंप लगाने हेतु लिखित में प्रार्थना पत्र दिया तथा महिलाओं द्वारा स्पष्ट रूप से जानना चाहा कि कितने समय में हैण्डपंप लग जायेगा? सरपंच एवं विकास अधिकारी ने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि हैण्डपंप जल्दी लग जाये, लेकिन कोई निश्चित समय बताना संभव नहीं है। महिलाओं ने कहा कि “यह तो हम दो साल से सुनती आ रही हैं।”

सरपंच एवं विकास अधिकारी से सम्पर्क करने के बाद भी एक माह व्यतीत हो गया, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। तब श्रीमती रुक्मिणीबाई ने दबाव की प्रक्रिया अपनाई। रुक्मिणीबाई एवं महिलाओं ने कहा कि रुक्मिणीबाई स्वयं अनुसूचित जनजाति की महिला होने एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय से जुड़ा मामला होने के कारण हैण्डपंप लगाने में देरी की जा रही है। रुक्मिणीबाई ने उक्त मुद्दे पर अरणीय जोशी एवं अन्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के वार्डपंचों को भी अपने साथ जोड़ लिया एवं सरपंच स्वयं अनुसूचित जाति का था, उसे अनुसूचित जाति, जनजाति की समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाने की कोशिश की।

इसी दौरान ग्राम पंचायत में एक महत्वपूर्ण घटना घटित हुई। पूर्व सरपंच की पहल पर कुछ वार्डपंचों ने सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने का मानस बनाया। इसकी भनक लगने पर सरपंच ने सभी वार्डपंचों से सम्पर्क कर अपने पक्ष में करने का प्रयास किया एवं इसी क्रम में उसने रुक्मिणीबाई से भी सम्पर्क किया, तो रुक्मिणीबाई ने कहा कि मैं समूह के सदस्यों एवं बस्ती के लोगों से चर्चा कर बताऊँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे चुना है। रुक्मिणीबाई ने उक्त विषय पर समूह में एवं अन्य महिलाओं से चर्चा की, तब समूह ने कहा कि अब ही मौका है हैण्डपंप लगवाने का। सरपंच को तब ही समर्थन दिया जा सकता है, जब पहले हमारी बस्ती में

हैण्डपंप लगे। रुक्मिणीबाई ने समर्थन हेतु पहले हैण्डपंप लगाने की शर्त रख दी। पद को बचाने के लिए सरपंच ने व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर 27 जून, 2002 को हैण्डपंप लगवा दिया। हैण्डपंप में पानी भी पर्याप्त हो गया।

भीलवाड़ा जिले के कजलोदिया गाँव की बाल पंचायत की सितम्बर, 2002 में मासिक बैठक बाल पंचायत अध्यक्ष कु. सीता सुवालका की अध्यक्षता में उसके घर पर हुई। उक्त बैठक में सुरक्षित पेयजल, जल जनित बीमारियों पर चर्चा हुई। पानी को सुरक्षित रखने एवं छान कर पीने, जल जनित बीमारियों से बचाव आदि पर भी चर्चा हुई। साथ ही, गाँव के जल स्रोतों के पानी को भी सुरक्षित रखने पर विचार हुआ। गाँव के लोग पेयजल हेतु गाँव के परम्परागत एवं सार्वजनिक कुएं पर निर्भर हैं। कुआं खुला होने के कारण कुएं में उपलब्ध जल की गुणवत्ता प्रभावित होती थी। जल की गुणवत्ता को बनाए रखने हेतु बाल पंचायत सदस्यों ने कमालपुरा गाँव में स्थित उपस्वास्थ्य केन्द्र से लाल दवा (पोटेशियम परमेगनेट) लाकर कुएं में डाली एवं पेयजल को सुरक्षित बनाया।

‘स्वच्छ गाँव स्वच्छ बाल’ अभियान के तहत उपरेड़ा में 25 जुलाई को गाँव के बच्चों ने श्रमदान का अनूठा प्रयास शुरू किया। मंदिर पर बच्चों के साथ व्यक्तिगत स्वच्छता की बात चल रही थी, तो सुश्री रेणु ने कहा कि हम सफाई की बात कर रहे हैं, लेकिन मंदिर के चौक में भी लोग सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं। विचार-विमर्श के बाद बच्चों ने श्रमदान करने का निर्णय लिया। बच्चे अपने-अपने घर से झाड़ू, तगारी, फावड़ा लेकर हो गये शुरू सफाई करने के लिए। मंदिर के चौक से शुरू हुआ सफाई कार्यक्रम सांय तक चला व कपड़े गंदे होने की परवाह किये बिना बड़े उत्साह एवं लगन के साथ पूरे गाँव की सफाई की गई। चित्तौड़गढ़ जिले की कपासन पंचायत समिति, ग्राम पंचायत करुकड़ा की बाल पंचायत, नाथीखेड़ा के जल मंत्री ने बाल पंचायत की बैठक के दौरान बताया कि हमने (बाल पंचायत) एक बार हैण्डपंप की सफाई कर दी है, अब हैण्डपंप की सफाई करना लोगों के व्यवहार में आना चाहिए। स्वच्छता रखने का कार्य सभी का है, अतः हैण्डपंप के पास इस संबंध में नारा लिखवा देंगे।

कमाल चेतावनी का

पंचायत समिति निम्बाहेड़ा, ग्राम पंचायत बड़ौलीघाटा के गाँव कानपुरा (रामगढ़) गाँव की पेयजल समस्या के समाधान हेतु 1996-97 में “अपना गाँव अपना काम” योजना के तहत गाँव में लगभग 3,09,000 रुपये की लागत से ट्यूबवेल लगवाया गया एवं पानी की टंकी बनाई गई। टंकी का उद्घाटन तत्कालीन जिला प्रमुख श्रीचन्द कृपलानी (वर्तमान में सांसद) ने किया। इससे कुछ दिन तो गाँव में पेयजल आपूर्ति हुई, लेकिन जल्दी ही ट्यूबवेल में पानी सूख जाने से पुनः पेयजल समस्या पैदा हो गई। जब टंकी का उपयोग नहीं हो रहा था, तो टंकी से गाँव एवं ट्यूबवेल से टंकी तक की पाइप लाइन में उपयोग किये गये पाइप को ग्राम पंचायत ने निकलवाकर इसी जगह लगवा दिया।

‘कट्स’ के प्रेरक श्री घीसालाल गुर्जर एवं गाँव में कार्यरत महिला स्वयं सहायता समूह सदस्यों ने गाँव में दूसरा ट्यूबवेल लगाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। जनवरी, 1999 में आयोजित चौपाल बैठक में पेयजल समस्या पर चर्चा हुई, जिसमें तय हुआ कि दूसरा ट्यूबवेल लगवाने हेतु प्रयासों को जारी रखते हुए सरकार की ओर से ट्यूबवेल लगाने तक वैकल्पिक व्यवस्था हेतु पास के निजी ट्यूबवेल से टंकी भरवाकर पेयजल आपूर्ति की जाए। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा पाइप लाइन के पाइप अन्यत्र लगा देने तथा कुछ पाइप्स के खराब हो जाने के कारण यह संभव नहीं हो सका। इसी बीच फरवरी, 2000 में पंचायत के चुनाव हो गये एवं ग्राम पंचायत का कार्यभार नये सरपंच ने संभाल लिया। पूर्व सरपंच ने नये सरपंच को चार्ज देते वक्त कानपुरा गाँव के पाइप्स कहां लगाये, इसकी जानकारी भी नहीं दी। अब गाँव की पेयजल समस्या के समाधान हेतु महिलाओं को दो मोर्चों पर कार्य करना था। एक तो नया ट्यूबवेल लगवाना एवं कानपुरा गाँव के जो पाइप्स अन्य जगह लगा दिये, उन्हें वापस हासिल करना।

इस हेतु गाँव की महिलाओं ने प्रेरक श्री घीसालाल गुर्जर एवं स्थानीय वार्डपंच के पति को भी अपने साथ जोड़ा एवं नया ट्यूबवेल लगाने तथा ग्राम पंचायत से वापस पाइप्स प्राप्त करने हेतु प्रयास शुरू किये। कई बार कर्मचारी एवं जनप्रतिनिधियों से लगातार सम्पर्क करने एवं काफी प्रयासों के बाद जनवरी, 2002 में ग्राम पंचायत द्वारा ट्यूबवेल तो लगवा दिया गया,

लेकिन पाइप्स नहीं होने की स्थिति में टंकी को भरना संभव नहीं हो सका। परिणामस्वरूप, पेयजल समस्या यथावत बनी रही। महिलाओं ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से तथा श्री घीसालाल गुर्जर के सहयोग से प्रयासों को जारी रखा, लेकिन पाइप्स के स्थान पर आश्वासन ही मिलता रहा।

ग्राम पंचायत द्वारा पाइप्स उपलब्ध नहीं कराने एवं पेयजल समस्या के बारे में महिलाओं द्वारा कई बार लिखित एवं मौखिक रूप से क्षेत्रीय सांसद, विधायक, प्रधान, विकास अधिकारी सहित कई प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को अवगत करवाया गया, इन्होंने भी प्रार्थना व शिकायती पत्रों पर आवश्यक कार्यवाही करने की टिप्पणी कर अपने अधीनस्थों को प्रेषित कर कर्तव्य की इतिश्री कर ली।

जब किसी भी तरह से समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो महिलाओं ने ग्राम पंचायत को चेतावनी दी कि यदि उन्हें उनके पाइप्स उपलब्ध नहीं करवाये तो ग्राम पंचायत के विरुद्ध धोखाधड़ी करने एवं सार्वजनिक सम्पत्ति का दुरुपयोग करने की कार्यवाही की जाएगी। महिलाओं की इस चेतावनी से ग्राम पंचायत सकते में आई एवं पाइप्स उपलब्ध कराने हेतु तैयार हो गई। महिलाएं स्वयं ट्रैक्टर द्वारा ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पहुँचीं एवं पाइप गाँव में लेकर आईं। उसके पश्चात् गाँव के लोगों के सहयोग से पाइप लाइन बिछाई गई। श्री घीसालाल ने अपने निजी ट्र्यूबवेल से टंकी भरना शुरू कर दिया। अब गाँव में सुचारु रूप से पेयजल आपूर्ति हो रही है।

पंचायत समिति भदेसर के गाँव उपरेड़ा में ग्रामीण बालिका सशक्तिकरण परियोजना के अन्तर्गत सुश्री ललिता कुमारी शर्मा की अध्यक्षता में बाल पंचायत के सदस्यों ने मिलकर मंदिर के आस-पास अपने मोहल्ले में ग्राम सफाई अभियान चलाया। सफाई अभियान पर गाँव के लोग प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहने लगे कि आजकल बच्चे सफाई का बहुत ध्यान रखने लगे हैं। उन्होंने बच्चों को कहा कि सफाई के साथ-साथ तुम लोग अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखना। सफाई अभियान में 6 वर्ष आयुवर्ग से लेकर 17 वर्ष आयुवर्ग के लगभग 52 बच्चों ने भाग लिया। सफाई अभियान बाल पंचायत के सदस्य सुश्री टीना शर्मा, गीता शर्मा, रेणु शर्मा, भगवती शर्मा, ज्ञानवती, राजकुमार, लोकेश, रोशन एवं विनोद की देख-रेख में किया गया। ग्राम पंचायत भदेसर के गाँव गरदाना में भी बाल पंचायत के सदस्यों द्वारा सार्वजनिक चौक, बजरंग चौक में सफाई अभियान चलाया गया। बच्चे झाड़ू, तगारी एवं अन्य सफाई की आवश्यक सामग्री लेकर सफाई अभियान में जुट गये। इस पर गाँव के लोगों ने कहा कि कहीं आज बच्चे पागल तो नहीं हो गये, जो अचानक गाँव की सफाई कर रहे हैं। उक्त सफाई अभियान में बाल पंचायत के 06 से 15 वर्ष आयुवर्ग के सभी बच्चों ने भाग लिया एवं गाँव की सफाई की।

अन्याय के खिलाफ

चित्तौड़गढ़ जिले के उपखण्ड कपासन का गाँव अरनियाँ उपखण्ड मुख्यालय से पूर्वी दक्षिणी दिशा में 8 किलोमीटर दूरी पर बसा हुआ है। 'कट्स' मानव विकास केन्द्र ने ग्रामीण महिला सशक्तिकरण परियोजना के तहत इस गाँव में कार्य करना प्रारम्भ किया। 'कट्स' के हस्तक्षेप से गाँव की महिलाओं ने लोक देवियों के नाम पर "माँ चामुण्डा एवं दुर्गा महिला स्वयं सहायता समूह" का गठन अप्रैल, 2000 में किया, जिसके माध्यम से महिलाएं गाँव के एवं स्वयं के विकास का कार्य कर रही हैं। अरनियाँ गाँव के पास ही अरनिया बांध नाम का बांध बना हुआ है, जिसमें पानी भरा रहने से अरनिया, जेलवालों का खेड़ा एवं पावटिया सहित आस-पास के गाँवों में पेयजल स्रोतों में पानी उपलब्ध रहता है तथा पशु भी इसी स्रोत से पानी पीते हैं।

महिला समूहों को पता चला कि चंद प्रभावशाली लोग निजी स्वार्थ के कारण गाँव के बीच का पानी कृषि के उपयोग हेतु ले रहे हैं। जिससे कुछ प्रभावशाली लोगों को लाभ होने की कीमत पर अधिकांश लोगों एवं पशुओं को पेयजल संकट का सामना करना पड़ सकता था। अतः आवश्यक हो गया कि बांध में से पानी निकालने की कार्यवाही को रोका जाए।

प्रभावशाली लोगों द्वारा बांध से पानी निकालने की कार्यवाही को रोकने के मुद्दे पर चर्चा करने हेतु 10 अक्टूबर, 2001 को श्रीमती शायरीबाई बुनकर के घर पर "माँ चामुण्डा एवं दुर्गा महिला समूह" की बैठक आयोजित की गई। बैठकों में गाँव के पुरुषों को भी बुलाया गया लेकिन केवल 4-5 पुरुष ही आये। बैठक में अरनिया बांध से पानी निकालने की कार्यवाही को रोकने के मुद्दे पर चर्चा कर प्रशासनिक अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से सम्पर्क कर उचित कार्यवाही कराने का निर्णय लिया।

समूह सदस्यों ने गाँव के लोगों के साथ मिलकर उपखण्ड अधिकारी, कपासन एवं जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ को ज्ञापन प्रेषित किये। जिस पर उपखण्ड अधिकारी, कपासन द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना स्वीकृति के पानी निकालने पर रोक लगा दी।



ग्रामीणजन, संस्था कार्यकर्ता श्री मुकेश गुप्ता के साथ 'राष्ट्रीय जल संसाधन दिवस' पर विचार विमर्श करते हुए।



श्री एच.एम. शर्मा, सहायक कृषि अधिकारी, मृदा संरक्षण एवं चिरस्थायी कृषि पद्धतियों पर ग्रामीणजनों को प्रशिक्षण प्रदान करते हुए।



संस्था कार्यकर्ता श्री मदनगिरी एवं श्री घनश्याम चौहान गंगरार पंचायत समिति में स्थित नाड़ी को गहरा करने हेतु ग्रामीणजनों के साथ श्रमदान का शुभारंभ करते हुए।



ग्राम पेम्दिया खेड़ा के ग्रामीणजन अच्छी बारिश की कामना हेतु भगवान श्री राम की यात्रा निकालते हुए।



जल जागरूकता कार्यक्रमों में शामिल होते ग्रामीण जन।



जल जागरूकता कार्यक्रमों में शामिल होते ग्रामीण जन।



जल संरक्षण एवं प्रबंधन के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु 'कट्स' द्वारा आयोजित जल जागरूकता यात्रा।



कट्स द्वारा 22 जुलाई, 2001 को आयोजित 'जल संरक्षण एवं संवर्धन' हेतु कार्यक्रम में पानी वाले बाबा के नाम से प्रसिद्ध मेग्सेसे पुरस्कार विजेता श्री राजेन्द्र सिंह।

‘कट्स’ प्रकाशन

समाचार पत्रिकाएं (न्यूज लेटर्स)

1. ग्राम गदर

‘कट्स’ की स्थापना से पूर्व से प्रकाशित मासिक हिन्दी भित्ती पत्र जिसमें विकास योजनाओं, महिला व बाल स्वास्थ्य, उपभोक्ता, पर्यावरण व महिला सशक्तिकरण आदि विभिन्न मुद्दों के समाचार सम्मिलित होते हैं। (25 रुपये वार्षिक)

2. आपके नाम चिट्ठी

मासिक हिन्दी समाचार पत्रिका जिसमें ‘कट्स’ गतिविधियां, सहयोगी संस्थाओं की उपलब्धियां, रोचक खबरें आदि प्रकाशित किए जाते हैं।

3. आगे बढ़ना होसी

त्रैमासिक हिन्दी पत्रिका जो कि विशेषकर महिला जागरूकता, अधिकारों व सशक्तिकरण से सम्बन्धित समाचार विभिन्न कार्यकर्ताओं व पाठकों तक पहुंचाती है। (30 रुपये वार्षिक)

4. विद्युत सुधार

त्रैमासिक हिन्दी पत्रिका जिसमें राजस्थान में विद्युत सुधार कार्यक्रमों से संबंधित खबरें प्रकाशित कर पाठकों तक पहुंचाई जाती है।

5. ‘कट्स इन एक्शन’

त्रैमासिक अंग्रेजी पत्रिका जिसमें ‘कट्स’ द्वारा की गयी सम्पूर्ण गतिविधियों का ब्यौरा संलग्न होता है।

6. पॉलिसी वॉच

नीतियों के निर्धारण व उसके बिगड़ते व बदलते स्वरूप से सम्बन्धित त्रैमासिक अंग्रेजी न्यूज़लेटर।

7. ‘यूटीलेटर’

देश (भारत) में मूलभूत जन सेवाओं के क्षेत्र (बिजली, पानी, परिवहन, संचार आदि) में होने वाले महत्वपूर्ण बदलावों की जानकारी आम उपभोक्ता तक पहुंचाना एवं उपभोक्ताओं को जोड़ते हुए इन क्षेत्रों में सुधार प्रक्रिया को प्रेरित करना।

8. पाँचवा स्तम्भ

सरकार की जवाबदेहिता सुनिश्चित करने हेतु बनाई जा रही परियोजना “प्रशासन की जवाबदेहिता एवं उपभोक्ता जागरूकता” के अन्तर्गत प्रकाशित हिन्दी पत्रिका जिसके अन्तर्गत जवाबदेहिता, भ्रष्टाचार, बालश्रम, सूखा एवं अकाल राहत कार्यक्रम, महिलाएं, जल प्रबन्धन, कृषि एवं सिंचाई तथा सरकारी घोषणाएं जैसे मुद्दों पर समाचार प्रकाशित किए जाते हैं।

दस्तावेज़ (अभिलेखीकरण)

1. ऋण मुक्ति आन्दोलन

अंग्रेजी व हिन्दी में प्रकाशित इस दस्तावेज़ में करीब 800 निर्धन किसानों, महिलाओं तथा विधवाओं को राज्य के विभिन्न राहत कार्यक्रम में से राहत उपलब्ध कराने के अभियान का अभिलेखीकरण ब्यौरा संलग्न है। (# 9201, 20 रुपये वार्षिक)

2. ‘पीपल : फिफ्ट एस्टेट/एम्प्लोयरिंग द पुअर’

उपभोक्ताओं हेतु भारत व तीसरे देशों में सामाजिक आन्दोलन के दिशानिर्देशों पर अंग्रेजी में दस्तावेज़। (# 8904, 10 रुपये वार्षिक)

3. ‘पीपल, पीपल एण्ड पीपल’

गरीबी व जनसंख्या वृद्धि के बीच सम्बन्धों पर अंग्रेजी में दस्तावेज़ (# 8903, 10 रुपये वार्षिक)

4. ‘राइट टू लाइफ एण्ड सेफ्टी आन रोड्स’

सड़कों पर वाहन दुर्घटनाओं को कम से कम करने व जीवन के अधिकारों से सम्बन्धित अंग्रेजी में दस्तावेज़। (# 9003, 10 रुपये वार्षिक)

5. ‘बी.वी.ओ. – अ बिगर रिपऑफ देन बोफोर्स’

शीतलपेय में प्रयोग किए जाने वाले हानिकारक ‘ब्रोमीनेटेड वेजीटेबल ऑयल’ के विरुद्ध ‘कट्स’ के अभियान का अंग्रेजी में अभिलेखीकरण (# 9004, 30 रुपये वार्षिक)

6. 'कारपेट्स एट वाट कॉस्ट'

बाल श्रमिकों के द्वारा तैयार गलीचों का बहिष्कार करने के संबंध में अभियान पर अंग्रेजी में दस्तावेज़। (# 9303, 20 रुपये वार्षिक)

7. अभिलेखीकरण अभ्यास

हिन्दी व अंग्रेजी में प्रकाशित पुस्तक, जिसमें 'कट्स' द्वारा कार्यकर्ताओं व सहयोगी संस्थाओं के लिए अभिलेखीकरण पर अभ्यास का दस्तावेजीकरण है।

8. 'ग्रासरूट एडवोकेसी ऑन हैल्थ'

वर्ष 1993 में 'कट्स' द्वारा संचालित मातृ एवं शिशु कल्याण परियोजना के परिणामों का अंग्रेजी भाषा में अभिलेखीकरण।

9. 'हारु कन्ज्यूमर फ्रेंडली आर द वाटर सप्लाय पाईप्स'

पेयजल आपूर्ति हेतु निर्मित पाईप किस स्तर तक उपभोक्ता अनुकूल है, पर 'कट्स' के अभियान का अंग्रेजी भाषा में अभिलेखीकरण। (15 रुपये)

10. 'ए डिकेड ऑफ कट्स' ('कट्स' का एक दशक)

वर्ष 1983–1993 तक 'कट्स' की गतिविधियों का अंग्रेजी में सम्पूर्ण विवरण। (# 9401, 30 रुपये वार्षिक)

11. 'कट्स इन ए बिग नटशेल' ('कट्स' के इतिहास का एक वृहद सारांश)

'कट्स' के आरंभ से वर्ष 1997 तक की यात्रा का अंग्रेजी में विवरण।

12. 'अबाउट कट्स' ('कट्स' के बारे में)

'कट्स' का वर्ष 2000 तक का इतिहास तथा 'कट्स' के विभिन्न केन्द्रों का अंग्रेजी में विवरण।

13. 'स्टेट ऑफ द इन्डियन कन्ज्यूमर'

'कट्स' द्वारा उपभोक्ता कल्याण कोष की सहायता से संचालित परियोजना के द्वारा भारत में उपभोक्ता संरक्षण, 1985 के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के दिशा निर्देशों के समावेश का आकलन। (# 0103, 200 रुपये)

14. 'एनालिसिस ऑफ द राजस्थान स्टेट बजट' (राजस्थान राज्य के बजट का अंकेक्षण)

गरीबों के लिए लागू सरकारी समाज कल्याण योजनाओं का वर्ष 1992 से 1993 तथा वर्ष 97-98 का अंग्रेजी भाषा में सूक्ष्म अध्ययन।

15. 'वूमेन एज डिस्पेन्डवान्टेज कन्ज्यूमर्स' (महिलाएं एक अलाभकारी उपभोक्ता के रूप में)

महिलाओं के एक अलाभकारी उपभोक्ता के रूप में पर अध्ययन अंग्रेजी व हिन्दी में। (# 9812, 15 रुपये)

16. 'वाटर: वाट आर आवर राइट्स'

पानी से सम्बन्धित विभिन्न सरकारी स्तर पर कानून व दस्तावेज। अंग्रेजी में विवरण (# 9811, 15 रुपये)

17. 'कोप्रा एण्ड द सुप्रीम कोर्ट'

लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के उद्देश्य से विभिन्न उपभोक्ता मुद्दों/विषयों पर उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए नीतिगत निर्णयों का अंग्रेजी में अभिलेखीकरण। (#9906, 15 रुपये)

18. 'नम्बर्स एट वाट कॉस्ट'

परिवार कल्याण के अर्न्तगत नसबन्दी कराएं जाने के बाद हुई कई महिलाओं की मृत्यु तथा असफल नसबन्दीयों का अंग्रेजी में सम्पूर्ण ब्यौरा। (ISBN: 81-87222-34-4, 100 रुपये)

कार्यक्रम प्रतिवेदन

1. 'नेशनल वर्कशाप आन कन्ज्यूमर एण्ड एनवायरमेन्टल लॉज़' (उपभोक्ता व पर्यावरण कानूनों पर राष्ट्रीय कार्यशाला)

14-15 अप्रैल, 1990 को नई दिल्ली में आयोजित उपभोक्ता व पर्यावरण कानूनों पर राष्ट्रीय कार्यशाला का प्रतिवेदन। (#9005, 10 रुपये)

2. दिनांक 1–3 नवम्बर, 1991 को कलकत्ता में तीसरे राष्ट्रीय अधिवेशन का प्रतिवेदन। (#9201, 25 रुपये)

3. 'वान्टेड: सोशल आडिट' (सामाजिक अंकेक्षण चाहिए)

दिसम्बर 1993 में चित्तौड़गढ़ में सामाजिक अंकेक्षण पर राष्ट्रीय कार्यशाला पर द्विभाषीय प्रतिवेदन। (#9401, 30 रुपये)

4. 'एजुकेटिंग एन.जी.ओ. आन पोपूलेशन'

'जनसंख्या विषय पर स्वयंसेवी संगठनों को शिक्षित करना' विषय पर 4–5 मार्च, 1993 को चित्तौड़गढ़ में आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला पर द्विभाषीय प्रतिवेदन। (#9403, 30 रुपये)

मार्गदर्शिकाएं

1. 'हारू टू गेट बैक योर स्कूटर डिपोजिट?' (स्कूटर बुकिंग राशि को वापस कैसे प्राप्त करें?)

एल.एम.एल. बनाम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के मामले में सैकड़ों स्कूटर डिपोजिटकर्ताओं के हित में 'कट्स' की पैरवी। (अंग्रेजी में पुस्तक) (#8901, 20 रुपये)

2. 'हारू टू गेट रिड्रेसल अन्डर कोप्रा—ए गाईड फार कन्ज्यूमर्स'

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत राहत कैसे प्राप्त करें? (#9507, 10 रुपये)

3. 'इलेक्ट्रीसिटी — ए गाईड फार कन्ज्यूमर्स'

विद्युत समस्याओं पर उपभोक्ताओं के लिए हिन्दी व अंग्रेजी में मार्गदर्शिका (#9504, 10 रुपये)

4. 'ड्रिंकिंग वाटर — ए गाईड फार कन्ज्यूमर्स'

पेयजल समस्याओं पर उपभोक्ताओं के लिए हिन्दी व अंग्रेजी में मार्गदर्शिका (#9505, 10 रुपये)

5. 'पब्लिक ट्रांस्पोर्ट – ए गाईड फार कन्ज्यूमर्स'
लोक परिवहन समस्याओं पर उपभोक्ताओं के लिए हिन्दी व अंग्रेजी में मार्गदर्शिका।
(#9506, 10 रुपये)
6. 'मेडिकल नेंग्लिजेंस – ए गाईड फार कन्ज्यूमर्स'
चिकित्सीय लापरवाही मामलों से कैसे निबटा जाए पर उपभोक्ताओं के लिए हिन्दी
व अंग्रेजी में मार्गदर्शिका। (#9509, 10 रुपये)
7. 'द कन्ज्यूमर वाट टू डू? हाऊ टू डू?' (उपभोक्ता क्या करें? कैसे
करें?)
उपभोक्ता कार्यकर्ताओं हेतु उपभोक्ताओं की विभिन्न समस्याओं तथा विभिन्न अन्य
कानूनों के बारे में सूक्ष्म जानकारी हिन्दी व अंग्रेजी में (पुस्तक उपलब्ध नहीं) (30
रुपये)
8. सूचना ही शक्ति है
ग्रामीण स्तर के कार्यकर्ताओं के लिए उनके विभिन्न अधिकारों के बारे में विस्तृत
जानकारी हिन्दी में। (#9102, 30 रुपये)
9. 'टेन पर्सेन्ट सिटीजनशिप' (दस प्रतिशत नागरिकता)
नागरिकों को उनकी नागरिकता को लेकर जागरूक होने के लिए उकसाने का
प्रयास, अंग्रेजी में। (#9302, 20 रुपये)
10. 'प्रिस्क्रीप्शन ऑडिट एनालिसिस' (दवाई पर्ची अंकक्षण)
'कट्स' द्वारा देश के विभिन्न शहरों में डाक्टरों द्वारा दवाई पर्चीयों पर अंकक्षण का
प्रतिवेदन अंग्रेजी में। (#9601, 30 रुपये)

प्रशिक्षण दस्तावेज़

1. 'रीचींग आऊट'

संचरण दक्षता बढ़ाने के लिए दस्तावेज़, अंग्रेजी में। (#9604, 100 रुपये)

2. 'रीचींग जस्टिस'

उपभोक्ता व विभिन्न कानूनों की जानकारी पर दस्तावेज़, अंग्रेजी में। (#9703, 100 रुपये)

3. 'ए न्यू जनरेशन'

'कट्स' द्वारा 'उपभोक्ता आन्दोलन के लिए नई पीढ़ी' विषय पर आयोजित कार्यशालाओं का सम्पूर्ण अभिलेखीकरण, अंग्रेजी में। (#9606, 100 रुपये)

4. 'माईल्स टू गो बिफोर वी स्लीप'

'कट्स' द्वारा वर्ष 1995 से 1997 तक आयोजित स्टाफ रिट्रीट का विवरण तथा 'कट्स' के तीन केन्द्रों के मिशन पत्र व उनकी गतिविधियाँ, अंग्रेजी में।

सार पत्र (हिन्दी)

1. संविधान तक पहुँच – एक उपेक्षित अधिकार
2. नागरिक अधिकार पत्र – आर्थिक सुधारों की ओर पहल
3. राजस्थान के विद्युत क्षेत्र में सुधार
4. पूंजी बाजार पर निवेशक शिक्षा
5. पृथ्वी के शिखर से जड़मूल तक

सार पत्र (अंग्रेजी)

6. कैलीफोर्निया एनर्जी क्रायसिस एण्ड लैसन्स फॉर इंडिया
7. इनवेस्टर एजुकेशन ऑन केपीटल मार्केट

आर्डर फार्म

पुस्तक का नाम	संख्या	राशि
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

पुस्तकों की कुल कीमत रु.

डाक व्यय कुल राशि.

मैं उपरोक्त आर्डर हेतुकी संख्या का बैंक ड्राफ्ट / मनीआर्डर / चैक संख्या
बैंक के नाम काकी कुल राशि का सलग्न कर भेज रहा हूँ।

सभी प्रकार कर भुगतान 'कट्स' के नाम से ही करें।

कट्स ✕ CUTS

मानव विकास केन्द्र

रावला सैती, चित्तौड़गढ़ 312 025, फोन : 01472 - 241472

ई-मेल : cutschd@sancharnet.in, chd@cuts-international.org

वेबसाइट : www.cuts-international.org

कृपया भेजें—

नाम

पद मान्यता

पता

शहर / जिला / देश पिनकोड

दूरभाष फेक्स ई-मेल

कृपया नोट करें:

कीमत: कृपया प्रत्येक प्रकाशन के आगे मूल्य अंकित को देखें। बिना मूल्य के प्रकाशन मात्र वितरण के लिए हैं।

मूल्य के साथ 25 प्रतिशत डाक व्यय भी जोड़े।

'जल संकट के लिए मानव दोषी'

कार्यालय संवाददाता

चित्तौड़गढ़, 17 अप्रैल। जल जीवन का आधार है, लेकिन आज जल की निरंतर कमी होती जा रही है। कमी प्रकृति प्रदत्त कम एवं मानव निर्मित अधिक है। यदि जल संरक्षण एवं संवर्धन पर तुरंत ध्यान नहीं दिया तो मानव नहीं प्राणी मात्र के अस्तित्व पर खतरा हो जाएगा। जल

पंचायत समिति के ग्राम पंचायत बलारड़ा के गांव अरणिया बांध में आयोजित जल चिंतन सम्मेलन में उपस्थित लोगों ने एकट किए। कट्स मानव विकास केन्द्र चित्तौड़गढ़ पंचायत बलारड़ा मन्त्रि

लिए समाज जागरूक हो तथा जल संरक्षण के सामूहिक प्रयास करें।

अध्यक्षीय पद से लोगों को संबोधित करते हुए अजमेर जिला ग्रामीण उपभोक्ता संस्थान अध्यक्ष के सचिव जसवंतसिंह रावत ने जल के उपयोग, भविष्य के लिए जल का संचय जल संचयन की प्राचीन समृद्धि को स्थापित करने के लिए बार

लुप्त हो रहे हैं पारम्परिक जलस्रोत-जोशी

गरदाना में पाइप लाइन का उद्घाटन

जल संकट का समाधान नहीं हुआ तो भविष्य अंधकार में होगा-शर्मा

चित्तौड़गढ़, 6 जून (नि.सं.)। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में जिले भर में विभिन्न संस्थाओं द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर प्रमुख एवं अन्य कार्यक्रम प्रमुख के प्रमुख जल संकट को लेकर महिलाओं का प्रदर्शन चित्तौड़गढ़, 6 फरवरी [नि.सं.]। ग्रामीण महिला विकास परियोजना के तहत माताजी की ओर झुकी महिलाओं ने पेयजल की समस्या को लेकर विकास अधिकारी का घेराव किया। प्रदर्शन कि ग्राम

कृष्णस्वामी ने जल संरक्षण एवं संवर्धन हेतु समुदाय के स्तर पर वर्षा जल के संचय, भू-जल पुर्नभरण, प्राकृतिक एवं परम्परागत जल स्रोतों का रख-रखाव के प्रयास हो तथा सरकार, पानी की कमी को दृष्टिगत रखकर जल संरक्षण एवं कार्यवाहियों कनेरा बन्द, रास्ता रोका

'प्राकृतिक संसाधनों' में संतुलन आवश्यक'

कार्यालय संवाददाता

चित्तौड़गढ़, 6 जून। शहर एवं जिलेभर में मंगलवार को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित मुख्य रूप से दिया गया। यहां हिन्दुस्तान जिंक स्मेल्टर में

का यह इकाई पूरी तरह पालन कर रही है। श्रमिक संघ के वरिष्ठ सचिव राणावत ने विकास के साथ प्राकृतिक संसाधनों में संतुलन रखने की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने आयोजित नारायण के विजेताओं को

कार्यक्रम आयोजित किया गया। वन सुरक्षा एवं विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले को कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर देवकीनंदन को वृक्ष वर्धक पुरस्कार, रामनारायण शर्मा को वन प्रहरी, दारासिंह, वनपाल व भैरूसिंह, वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं प्रबंध समिति को

पानी की सुरक्षा करना आवश्यक

'जल विकास की धुरी एवं प्राणियों का प्राण'

चित्तौड़गढ़, 25 अप्रैल [नि.सं.]। 'मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग कर संतुलन बनाए दिया। इस कारण मानव स्वयं अकाल एवं आपदाओं की चपेट में आ गया है। यदि हमें अकाल, आपदाओं एवं विनाश से बचना है तो प्रकृति के साथ वैश्वपूर्ण व्यवहार करना होगा।' उक्त विचार रखते सेबी संगठन कट्स मानव विकास केन्द्र चित्तौड़गढ़ की पहल से ग्राम पंचायत गरदाना [भदोस] में आयोजित तृतीय जल चिंतन सम्मेलन में उभर कर आए।

विश्व प्रकृति दिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार को तहसीलदार भदोस, ग्राम पंचायत सरपंच पुष्पीराज अहिर परियोजना समन्वयक शशिप्रभा की अध्यक्षता में आयोजित सम्मेलन की अवधारणा

एवं उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए कार्यक्रम अधिकारी धर्मासिंह रावत ने कहा कि विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों की निरंतर कमी होती जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्षा जल का संचय न करने, जल का अत्यधिक दोहन, जल प्रदूषण गरदाना में जल चिंतन सम्मेलन सम्पन्न

एवं प्राकृतिक जल स्रोतों के रखरखाव, विकास के प्रति उत्तरीयता एवं उपेक्षा, प्राकृतिक संसाधनों के रखरखाव, विकास की परम्पराओं का लोप होता जा रहा है। कट्स द्वारा जल के प्रति जागरूकता तथा

जलग्रहण विकास की सामुदायिक सहभागिता आधारित परम्पराओं को पुनः स्थापित करने के लिए विश्व जल दिवस 22 मार्च से अभियान चलाया जा रहा है। अभियान विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून तक चलाकर समुदाय को जागरूक करने का प्रयास किया जाएगा। सरकार से विकास योजनाओं में जलग्रहण की प्राथमिकता देने का आग्रह किया जाएगा।

सम्मेलन की शुरुआत में कट्स सदस्य शशि प्रभा, धर्मासिंह रावत, वनरयाम सिंह, चन्द्रकला पुरोहित, हेमा जोशी, मनोज दीक्षित, मदनलाल कौर, मंगोलाल राय एवं विशिष्ट अतिथि तहसीलदार का ग्राम पंचायत द्वारा साफा, शॉल व श्रीकल भेंट कर सम्मान किया गया।

कमजोर पड़ता जा रहा है। उन्होंने जल संरक्षण की पुरानी समृद्ध परम्पराओं को बनाने एवं लागू करने में महिलाओं को प्रमुख भूमिका बताई। सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कृपासन तहसील के नरमलीनदारा रामचरण शुक्ल ने कट्स की जल

चितौड़गढ़, 17 अप्रैल [निर्स.]। जल जीवन का आधार है लेकिन आज जल की निरंतर कमी हो रही है कभी प्रकृति प्रदत्त कम एवं मात्रा (निर्मित अधिक है यदि जल संरक्षण एवं संवर्धन पर तुरंत ध्यान नहीं दिया तो मानह ही नहीं प्राप्त करे अस्तित्व पर ही संकट खड़ा होगा। जल संरक्षण के लिए प्रयास करें।

प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। धामोसि के शुभ में कट्स कार्यक्रम समाप्त रावत ने सम्मानित हुए कहा कि

महिलाओं को प्रमुख भूमिका बढाई। लान को मुख्य अतिथि के रूप में करते हुए कापालत के तहसीलदार जल ने कट्स की जल संरक्षण एवं प्रकृति की माई पहल की सहभागिता करते प्रमुख की आवश्यकता है कि जल संवर्धन जागरूक हो तथा जल

चन्द्रसिंह भंडारी ने बहते जल संकट पर चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि गत वर्ष वर्षों से लगातार पड़ रहे अंकास से आज नमूय जाति के साथ-साथ पशु पक्षी भी प्रभावित हो रहे हैं। कट्स समारोह के, ग्राम में जांचायत बलादाई एवं दूपा एवं चामुड़ा स्वयं सहायता समूह के सहभागी एवं आयोजित जल चिन्तन सम्मेलन में जन प्रतिनिधि, स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधि सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी एवं कृषिपाल, भूसेर, निम्बाला

[illegible][illegible]

चित्तौड़गढ़, 25 अप्रैल (एनएसएस)। कमी प्रमुख है। परिणामस्वरूप जल संकट अकाल, आपदाओं एवं बिना हो गया। जल के प्रति जन को जागरूक तो प्रकृति के साथ मैत्रीपूर्ण तथा जलग्रहण विकास होगा। ग्राम पंचायत गरीबों के बीच मानव विकास केन्द्र तत्वावधान में आयोजित रामदेव स्वयं सहायता समूह सम्मेलन में उक्त विचार तहसीलदार भदेसर मुख सम्मेलन में उक्त विचार गरदाना कट्स परियोजना शशिप्रभा की उपस्थिति पर अवधारणा कट्स कहा कि कमी

चित्तौड़गढ़, 10 फरवरी [निस]। कट्स मानव विकास केन्द्र के महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का घेराव किया तथा गांव के नकारा पड़े हैंडपम्पों को शीघ्र दुरुस्त कराने की मांग की है। कट्स की उपपरियोजना निदेशक शशिप्रभा बताया कि घेराव से

[illegible]

‘कट्स’ मानव विकास केन्द्र, चित्तौड़गढ़

सन् 1991 में राजस्थान राज्य के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित सैंती ग्राम में अपनी स्थापना से ही केन्द्र, धरातल स्तर पर उपभोक्ता मुद्दों एवं समुदाय आधारित कार्यक्रम संचालित कर रहा है। सम्पूर्ण दृष्टि से केन्द्र के विभिन्न कार्यक्रमों के निम्न मुख्य ध्येय हैं:

- महिलाओं की स्थिति में सुधार;
- महिलाओं के प्रति पुरुषों के दृष्टिकोण में सकारात्मक परिवर्तन;
- शासन में महिलाओं की सहभागिता एवं प्रतिनिधित्व की बढ़त;
- महिलाओं के जीवन को विपरीत रीति से प्रभावित करने वाली सामाजिक कुरीतियों को कम करना; एवं
- मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता में सुधार।



ISBN: 81-8257-023-9

कट्स ✕ CUTS

मानव विकास केन्द्र

रावला सैंती, चित्तौड़गढ़ 312 025, फोन : 01472 - 241472

ई-मेल : cutschd@sancharnet.in, chd@cuts-international.org

वेबसाइट : www.cuts-international.org